दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

फरवरी भाग-2

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य 5
- भू-स्थानिक क्षेत्र 7
- न्यायपालिका में संघवाद: आवश्यकता और महत्त्व 9
- सड़क सुरक्षा: महत्त्व और आवश्यकता 11
- EV विनिर्माण को बढ़ावा 14
- विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 16

आर्थिक घटनाक्रम **19**

- प्राकृतिक खेती हेतु रणनीति 19

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **22**

- भारत-UAE संबंध 22
- रूस-यूक्रेन संघर्ष 24

सामाजिक न्याय **27**

- मनरेगा और बजट 2022 27
- जाति और हाथ से मैला ढोने की प्रथा 29

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

संदर्भ

व्यावसायिक और औद्योगिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के मामले में भारत का प्रदर्शन वर्षों से जारी मज़बूत आर्थिक विकास के बावजूद कमज़ोर ही बना हुआ है। कार्य वातावरण को सुरक्षित बनाने को कम प्राथमिकता दी गई है जबकि इस तरह के निवेशों के उत्पादकता लाभ हमेशा से स्पष्ट रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप बार-बार दुर्घटनाएँ सामने आती रहती हैं जिसमें जान-माल का नुकसान होता रहता है, लेकिन एक ऐसे बाज़ार में जहाँ श्रम की स्थिर आपूर्ति की स्थिति है नीति-निर्माता इस तरह के नुकसान के व्यापक प्रभाव की अनदेखी करते रहे हैं। यद्यपि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (Occupational Safety and Health- OSH) एक अस्तित्वपरक मानव एवं श्रम अधिकार है इस विषय पर भारत के विधि निर्माताओं और यहाँ तक कि ट्रेड यूनियनों द्वारा भी उचित ध्यान नहीं दिया गया है। सभी के लिये सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई और नीतियाँ तैयार करने के लिये सभी राज्यों में सुदृढ़ निगरानी (निरीक्षण) व्यवस्था और व्यापक डेटाबेस की आवश्यकता है।

भारत में व्यावसायिक सुरक्षा

व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान:

- भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं और व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित अंतिम आँकड़े श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा प्रदान किये जाते हैं।
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता, 2020 नियोक्ताओं और कर्मियों के कर्तव्यों का वर्णन करती है और विभिन्न क्षेत्रों के लिये सुरक्षा मानकों की परिकल्पना करती है जहाँ कामगारों के स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थिति, काम के घंटे, छुट्टी आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - यह संहिता संविदा कर्मियों के अधिकारों को भी मान्यता देती है।
  - यह संहिता सामाजिक सुरक्षा और निश्चित अवधि के कर्मचारियों को उनके स्थायी समकक्षों के बराबर वेतन/मज़दूरी जैसे वैधानिक लाभ प्रदान करती है।
- यह संहिता लैंगिक समानता लाने और महिला कार्यबल को सशक्त बनाने की भी भावना रखती है।
  - महिलाएँ सभी प्रकार के कार्यों के लिये सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने की हकदार होंगी और अपनी सहमति से (सुरक्षा, छुट्टियों और काम के घंटों से संबंधित ऐसी शर्तों के अधीन) सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी कार्य कर सकती हैं।

श्रम ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आँकड़े में विद्यमान दोष:

- उपलब्ध सरकारी आँकड़े विनिर्माण और खनन क्षेत्रों में व्यावसायिक आघातों (Occupational Injuries) की घटती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं क्योंकि आँकड़ों के विश्लेषण के समय अपंजीकृत कारखानों और खदानों को इसके दायरे में शामिल नहीं किया जाता है।
  - वर्ष 2011-16 के दौरान सरकार को रिपोर्ट किये गए व्यवसाय संबंधी रोगों के मामलों की संख्या केवल 562 थी। इसके विपरीत नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया, 2016 में प्रकाशित एक वैज्ञानिक लेख में सिलिकोसिस (Silicosis) और बिसिनोसिस (Byssinosis) जैसे व्यावसायिक रोगों के प्रसार की पुष्टि की गई।
- श्रम ब्यूरो कारखानों, खदानों, रेलवे, डॉक और बंदरगाह जैसे केवल कुछ क्षेत्रों से संबंधित औद्योगिक समस्याओं पर ही आँकड़ों का संकलन और प्रकाशन करता है।

नोट :

- ब्यूरो ने अभी तक वृक्षारोपण, निर्माण, सेवा क्षेत्र आदि क्षेत्रों को शामिल कर आघातों पर आँकड़ों के दायरे का विस्तार नहीं किया है।

- इसके अलावा प्राप्त आँकड़े भारत की स्थिति का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं क्योंकि कई प्रमुख राज्य श्रम ब्यूरो को सही आँकडें प्रदान नहीं कर पाते हैं।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2013-14 के दौरान दिल्ली, गुजरात, केरल, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कई प्रमुख राज्यों ने आँकडें प्रदान करने में चूक की और इस प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त आँकड़ों में कमी देखी गई थी।
- मामलों की अंडर-रिपोर्टिंग (Under-Reporting) एक अन्य गंभीर मुद्दा है जो स्पष्ट कारणों से घातक चोटों की तुलना में गैर-घातक चोटों के मामले में अधिक है।
  - लघु स्तर के उद्योगों में औद्योगिक आघातों की बड़े पैमाने पर अंडर-रिपोर्टिंग की स्थिति बनी रहती है।

कारखाना निरीक्षकों की नियुक्ति और निरीक्षण दर की स्थिति

- महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान (DGFASLI) के अनुसार, वर्ष 2019 में भारत में कारखाना निरीक्षकों (factory inspectors) के लिये स्वीकृत पदों पर कार्य करने का अनुपात (रोज़गार दर) 70.60% था।
  - यद्यपि महाराष्ट्र (38.93%), गुजरात (57.52%), तमिलनाडु (58.33%) और बिहार (47.62%) जैसे प्रमुख राज्यों में निरीक्षकों की रोज़गार दर अत्यधिक खराब थी।
  - वर्ष 2019 में प्रत्येक 487 पंजीकृत कारखानों पर केवल एक निरीक्षक था (प्रत्येक 25,415 श्रमिकों के लिये एक निरीक्षक) जो निरीक्षकों पर भारी कार्यभार का खुलासा करता है।
- अखिल भारतीय स्तर पर निरीक्षण दर (Inspection Rates) वर्ष 2008-11 के 36.23% से घटकर वर्ष 2012-2015 में 34.65% और वर्ष 2018-19 में 24.76% रह गई।
  - वर्ष 2008-2019 के दौरान जब केरल और तमिलनाडु में उच्च निरीक्षण दर (63%-66%) की स्थिति थी, तब गुजरात और महाराष्ट्र में 26%-30% की निम्न दर और हरियाणा में 11.09% की न्यूनतम दर मौजूद थी।
  - महाराष्ट्र (31% से 12%) और हरियाणा (14% से 7%) के लिये ऊपर उल्लिखित तीन उप-अवधियों में गिरावट की दर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक (50% और उससे अधिक) थी।
    - पिछले 12 वर्षों में लगभग सभी राज्यों में निरीक्षण दरों में गिरावट आई है।

आगे की राह

- अभिसमयों का पालन करना: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के विभिन्न अभिसमयों, श्रम निरीक्षण अभिसमय, 1947 एवं श्रम सांख्यिकी अभिसमय, 1985 की पुष्टि की है और इसलिये उसे इन अभिसमयों के उल्लंघन को रोकने के लिये तत्काल और सख्त कार्रवाई करनी चाहिये।
  - यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत प्रभावी हस्तक्षेप के लिये स्थिति को बेहतर ढंग से समझने हेतु कुशल व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (OSH) आँकड़ा संग्रह प्रणाली स्थापित करे।
- मौजूदा नीतियों का पुनरीक्षण: श्रम संहिताओं (विशेष रूप से OSH कोड), निरीक्षण और श्रम सांख्यिकीय प्रणालियों की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि सरकार श्रम मंत्रालय के लिये 'विज़न@2047' दस्तावेज़ तैयार करने की प्रक्रिया में है।
  - ऐसी नीतियाँ बनाना आवश्यक है जो अनुभवी सांसदों के सतर्क निरीक्षण से होकर गुजरें और इनमें कामगारों, नियोक्ताओं और विशेषज्ञों के परामर्श भी शामिल हों।
  - सुरक्षा से समझौता करने के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं और उनका प्रभाव कारखानों की सीमा से आगे निकल देश के लिये एक बुरी स्मृति बन सकता है, जैसा भोपाल गैस त्रासदी मामले में हुआ था।
- जन जागरूकता: कार्य-संबंधी दुर्घटनाओं एवं बीमारियों को रोकने और खतरनाक कार्यस्थल वातावरण में सुधार के लिये जन जागरूकता को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - भारत कामगारों एवं नियोक्ताओं के लिये मज़बूत राष्ट्रीय अभियायों और जागरूकता प्रसार गतिविधियों का संचालन कर सकता है।

नोट :

- युवा लोग विशेष रूप से OSH जोखिमों के प्रति अधिक सुभेद्य/संवेदनशील होते हैं और उन्हें OSH समाधान खोजने में सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

- इसी प्रकार, मास मीडिया एवं पत्रकार विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य चुनौतियों को उजागर कर सकते हैं और दुर्घटनाओं एवं बीमारियों को कम करने के बारे में सूचना का प्रसार कर सकते हैं।

- OSH समितियाँ: कार्यस्थल स्तर पर सर्वप्रथम OSH समितियों की स्थापना की जानी चाहिये और खतरों की पहचान करने एवं OSH में सुधार लाने हेतु अभिकर्ताओं को संलग्न किया जाना चाहिये।
  - OSH जोखिमों की पहचान करने और समाधानों को लागू करने हेतु कामगार स्वयं अग्रिम पंक्ति के अभिकर्त्ता होते हैं।
  - यह बात सुस्थापित है कि एक सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थल एक उत्पादक एवं गतिशील कार्यस्थल होता है, जो संवहनीय व्यवसाय की ओर ले जाता है।

निष्कर्ष

कार्य के दृष्टिकोण में गहरे बदलाव आ रहे हैं। सरकारों, नियोक्ताओं, कामगारों एवं अन्य हितधारकों के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे सभी के लिये भविष्य के सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल बन सकने के अवसरों का लाभ उठाएँ। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिये उनके दिन-प्रतिदिन के प्रयास भारत के ठोस सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष योगदान कर सकते हैं।

भू-स्थानिक क्षेत्र

संदर्भ

15 फरवरी, 2021 इस संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण दिन रहा कि इसी दिन भारतीयों के लिये भू-स्थानिक क्षेत्र (Geospatial Sector) को पूर्णरूपेण नियंत्रण-मुक्त (De-Regulate) करने हेतु नए दिशानिर्देश प्रभावी हुए। भारत में भू-स्थानिक क्षेत्र में एक सुदृढ़ पारितंत्र मौजूद है जहाँ विशेष रूप से भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey Of India- SoI), इसरो (ISRO), रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर (RSACs) एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और सामान्य रूप से सभी मंत्रालयों एवं विभाग भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं हालाँकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जागरूकता की कमी इस क्षेत्र के पूर्ण लाभों का दोहन करने की मार्ग में प्रमुख बाधा बनी हुई है।

भारत का भू-स्थानिक क्षेत्र

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी क्या है?

भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी (Geospatial Technologies) शब्द का प्रयोग पृथ्वी और मानव समाज के भौगोलिक मानचित्रण एवं विश्लेषण में योगदान करने वाले आधुनिक उपकरणों की एक श्रेणी का वर्णन करने के संदर्भ में किया जाता है।

'भू-स्थानिक' (Geospatial) शब्द उन प्रौद्योगिकियों के संग्रह को संदर्भित करता है जो भौगोलिक सूचनाओं के संग्रहण, विश्लेषण, भंडारण, प्रबंधन, वितरण, एकीकरण और प्रस्तुतीकरण में साहयक हैं।

- सामान्य तौर पर इसमें निम्नलिखित प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं:
  - रिमोट सेंसिंग
  - भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)
  - ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS)
  - सर्वेक्षण
  - 3D मॉडलिंग
- भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों के बेहतर मापन, प्रबंधन एवं रखरखाव, संसाधनों की निगरानी और यहाँ तक कि पूर्वानुमान एवं नियोजित हस्तक्षेप के लिये अनुमानपरक एवं निर्देशात्मक विश्लेषण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

नोट :

भू-स्थानिक क्षेत्र में उदारीकरण

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फरवरी, 2021 में भारत में भू-स्थानिक क्षेत्र के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये जिनमे पूर्व प्रोटोकॉल को नियंत्रण-मुक्त या गैर-विनियमित कर दिया और इस क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्द्धी क्षेत्र में परिणत करने हेतु इसका उदारीकरण कर दिया।
- नई नीति ने संवेदनशील रक्षा या सुरक्षा संबंधी डेटा के अलावा मानचित्रों सहित भू-स्थानिक डेटा एवं सेवाओं तक सभी भारतीय संस्थाओं के लिये आसान पहुँच प्रदान कर दी है।
- भारतीय निगम एवं नवोन्मेषक पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं और न ही उन्हें भारतीय क्षेत्राधिकार में डिजिटल भू-स्थानिक डेटा एवं मानचित्रण के सृजन या इसे अद्यतन करने से पहले किसी पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता है।
- उन्हें सुरक्षा मंज़ूरी अथवा लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और न ही उनपर कोई अन्य निषेध आरोपित है।

संशोधित दिशा-निर्देशों का महत्त्व

- दिशा-निर्देशों की घोषणा के बाद केंद्रीय बजट 2022-23 में भू-स्थानिक क्षेत्र के बारे में आवश्यक चर्चा को उत्पन्न कर दिया है।
- वर्ष 2029 तक 13% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ इस क्षेत्र के निवल मूल्य में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।
  - इसके परिणामस्वरूप भू-स्थानिक क्षेत्र जिसमेअब तक निवेशकों का प्रवेश वर्जित था अब उनकी नई रुचि का क्षेत्र हो गया है।
- दिशा-निर्देशों के उदारीकरण को निजी उद्योगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है जिसमें पहले की तरह आशंका और रूढ़िवादी दृष्टिकोण का अभाव है।

अंतर्निहित चुनौतियाँ

- सर्वप्रमुख बाधाओं में एक यह है कि भारत में एक बड़े भू-स्थानिक बाज़ार का अभाव है।
  - भारत की क्षमता और आकार के अनुरूप भू-स्थानिक सेवाओं और उत्पादों की मांग नहीं है।
- मांग में यह कमी मुख्य रूप से सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के संभावित उपयोगकर्त्ताओं के बीच जागरूकता के अभाव के कारण है।
- दूसरी बाधा समग्र भागीदारी में कुशल जनशक्ति का अभाव है।
- आधार डेटा की अनुपलब्धता (विशेष रूप से हाई-रिज़ॉल्यूशन पर) भी एक बाधा है।
  - डेटा साझाकरण और सहयोग पर स्पष्टता की कमी सह-निर्माण और संपत्ति को अधिकतम करने से रोकती है।
- इसके अतिरिक्त भारत की समस्याओं को हल करने के लिये विशेष रूप से विकसित उपायों में रेडी-टू-यूज़ समाधान (Ready-To-Use Solutions) अभी उपलब्ध नहीं हैं।
- हालाँकि भारत में भू-स्थानिक विषय में प्रशिक्षित लोग उपलब्ध हैं तथा उनका प्रशिक्षण प्राय: स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम या ऑन-जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से हुआ है।
  - पश्चिमी देशों के विपरीत भारत में ऐसे प्रमुख पेशेवरों की कमी है जो भू-स्थानिक क्षेत्र की पूर्ण समझते रखते हैं।

आगे की राह

- जागरूकता बढ़ाना: भारत को इस क्षेत्र में तीव्रता के साथ आगे बढने के लिये आक्रामक होने की ज़रूरत है जहाँ तक भू-स्थानिक क्षेत्र का संबंध है, इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - सर्वप्रथम संपूर्ण नीति दस्तावेज को प्रकाशित किये जाने और सरकारी एवं निजी उपयोगकर्त्ताओं को सभी संबंधितों पहलुओं से अवगत कराये जाने की आवश्यकता है।
  - सरकारी विभागों के पास उपलब्ध डेटा को 'अनलॉक' किया जाना चाहिये और डेटा साझाकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये एवं इसे सुलभ बनाया जाना चाहिये।
  - सरकार को विकासशील मानकों में निवेश करने और इन मानकों के अंगीकरण को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है।
- डेटा की उपलब्धता: सभी सार्वजनिक-वित्तपोषित डेटा को सेवा मॉडल के रूप में डेटा के माध्यम से बिना किसी शुल्क के या नाममात्र के शुल्क के सुलभ बनाने हेतु एक जियो-पोर्टल स्थापित करने की आवश्यकता है।

नोट :

- सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि डेटा साझाकरण, सहयोग और सह-निर्माण की संस्कृति को विकसित किया जाए।
- जबकि प्रोजेक्ट-टू-प्रोजेक्ट आधार पर विभिन्न प्रकार के डेटा का उत्पादन किया जाएगा। पूरे भारत में आधार डेटा के सृजन की आवश्यकता है।
  - इसमें भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल उन्नयन मॉडल (Indian National Digital Elevation Model- InDEM), शहरों के लिये डेटा स्तर और प्राकृतिक संसाधनों का डेटा शामिल होना चाहिये।

- स्टार्ट-अप्स की भूमिका: सॉल्यूशन डेवलपर्स और स्टार्ट-अप्स को विभिन्न विभागों में विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिये सॉल्यूशन टेम्प्लेट के निर्माण हेतु संलग्न किया जाना चाहिये।
  - स्थानीय प्रौद्योगिकी एवं समाधानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिये प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- डेटा का स्थानीयकरण: चूँकि नए दिशा-निर्देश हाई-एक्यूरेसी डेटा के विदेशी क्लाउड्स में संग्रहीत किये जाने को निषिद्ध करते हैं इसलिये स्थानीय रूप से एक भू-स्थानिक डेटा क्लाउड विकसित करने और सेवा के रूप में समाधान को सुलभ बनाने की आवश्यकता है।
  - पर्यावरण मंत्रालय कार्ययोजना, वन्यजीव गलियारा मानचित्रण, सामाजिक वानिकी जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) अनुप्रयोगों के एक पूर्ण सेट की मेज़बानी कर सकता है।
  - भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं इसरो जैसे राष्ट्रीय संस्थानों को विनियमन और राष्ट्र की सुरक्षा एवं वैज्ञानिक महत्त्व से संबंधित परियोजनाओं की ज़िम्मेदारी सौंपी जानी चाहिये।
- अकादमिक सहयोग: भारत को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITs) में भू-स्थानिक विषय में भी स्नातक कार्यक्रम शुरू करना चाहिये। इनके अलावा एक समर्पित भू-स्थानिक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाना चाहिये।
  - ऐसे कार्यक्रम अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को बढ़ावा देंगे जो स्थानीय स्तर पर प्रौद्योगिकियों एवं समाधानों के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष

देश में भू-स्थानिक क्षेत्र निवेश के लिये अनुकूल स्थिति में है। हालाँकि विवेचित विषयों पर स्पष्टता और एक सक्षम पारितंत्र के निर्माण की आवश्यकता भी है। लक्ष्य यह हो कि जब भारत भू-स्थानिक क्षेत्र के उदारीकरण की 10वीं वर्षगांठ मना रहा हो, तब इसने अनुमानित बाज़ार आकार प्राप्त कर लिया हो और भारतीय उद्यमी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखते हों।

न्यायपालिका में संघवाद: आवश्यकता और महत्त्व

संदर्भ

लगभग 150 वर्ष पहले ए.वी. डाइसी (A.V. Dicey) ने लिखा था, "संघवाद (Federalism) की आवश्यक विशेषता उन निकायों के बीच सीमित कार्यकारी, विधायी और न्यायिक अधिकारिता का वितरण है जो एक-दूसरे के साथ समन्वित और एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं।" विधायिका और कार्यपालिका के संदर्भ में संघीय ढाँचे को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है।

भारत राज्यों का एक संघ है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि हमारे देश की संघीय प्रकृति संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है। लेकिन क्या यह अवधारणा न्यायपालिका में भी समान रूप से लागू होती है?

न्यायपालिका में संघवाद का आशय

- संघवाद, एकात्मवाद (Unitarism)—जहाँ एक सर्वोच्च केंद्र होता है और राज्य/प्रांत उसके अधीन होते हैं और परिसंघवाद (Confederalism)—जहाँ राज्य सर्वोच्च होते हैं और वे एक कमज़ोर केंद्र द्वारा केवल समन्वित होते हैं, के बीच का मध्य-बिंदु होता है।
- संघवाद के अंदर निहित विचार यह है कि प्रत्येक अलग-अलग राज्य के पास लगभग समान राजनीतिक अधिकार हों और इस तरह वे एक बड़े संघ के भीतर अपनी निर्भरता-रहित विशेषताओं को बनाए रखने में सक्षम हों।

नोट :

- किसी संघीय राज्य की एक अभिन्न आवश्यकता यह होती है कि वहाँ एक मज़बूत संघीय न्यायिक प्रणाली मौजूद हो जो उसके संविधान की व्याख्या करती हो और इस प्रकार संघीय इकाइयों एवं केंद्रीय इकाई के अधिकारों और नागरिक एवं इन इकाइयों के बीच अधिकारों पर अधिनिर्णय करती हो।
- संघीय न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इस अर्थ में शामिल होते हैं कि केवल यही दो न्यायालय हैं जो अधिकारों पर अधिनिर्णयन कर सकते हैं।
- डॉ. बी.आर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि ''भारतीय संघ यद्यपि एक द्वैध राजव्यवस्था है, यहाँ द्वैध न्यायपालिका नहीं है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय एक एकल एकीकृत न्यायपालिका का निर्माण करते हैं जिसका संवैधानिक कानून, नागरिक कानून या आपराधिक कानून के अंतर्गत उत्पन्न सभी मामलों में न्यायाधिकार होता है और उपचार प्रदान करती है।''

क्या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की स्थिति एकसमान है?

- भारतीय संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियों में समानता की परिकल्पना की है, जहाँ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अधीनस्थ नहीं होता है।
  - इस संबंध में एक घटना काफी चर्चित है, जहाँ बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.सी. छागला और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.वी. राजमन्नार ने नवगठित सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने नवगठित न्यायालय में सामान्य न्यायाधीश बनने के बजाय प्रतिष्ठित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश बने रहने को प्राथमिकता दी थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कई अवसरों पर इस स्थिति को दुहराया है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल अपीलीय अर्थों में उच्च न्यायालय से उच्चतर है।
  - इस प्रकार, सैद्धांतिक स्थिति हमेशा से यह रही है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एकसमान हैं।
- आज़ादी के बाद से 1990 के दशक तक दोनों न्यायालयों के बीच एक बेहतर संतुलन बना रहा था। हालाँकि उसके बाद से यह संतुलन केंद्रीय न्यायालय के पक्ष में झुकता जा रहा है।
  - संतुलन की यह आवश्यकता आपातकाल के दौरान रेखांकित हुई थी जब उच्च न्यायालय (सभी नहीं, लेकिन उनकी एक उल्लेखनीय संख्या) स्वतंत्रता के प्रकाशस्तंभ के रूप में सामने आए थे जबकि सर्वोच्च न्यायालय इस कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहा था।
- हाल के वर्षों में तीन विशिष्ट प्रवृत्तियों ने उच्च न्यायालय की स्थिति को अत्यंत कमज़ोर कर दिया है, जिससे न्यायपालिका के संघीय ढाँचे में एक असंतुलन उत्पन्न हुआ है।
  - पहली प्रवृत्ति यह है कि सर्वोच्च न्यायालय (बल्कि इसके न्यायाधीशों का एक वर्ग जिसे 'कॉलेजियम' कहा जाता है) के पास उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति है। इस कॉलेजियम के पास न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति भी है।
  - दूसरा यह की उत्तरवर्ती सरकारों ने ऐसे कानून पारित किये हैं, जो न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों की एक समानांतर न्यायिक प्रणाली का निर्माण करते हैं और जहाँ उच्च न्यायालयों को दरकिनार करते हुए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के प्रावधान किये गए हैं।
  - तीसरी, सर्वोच्च न्यायालय मामूली विषयों से संबंधित मामलों की भी सुनवाई में पर्याप्त उदार रहा है।

न्यायपालिका के केंद्रीकरण से संबद्ध समस्याएँ

- केंद्रीकृत शासन: इससे अनिवार्य रूप से न्यायपालिका के केंद्रीकरण के पक्ष में संतुलन बिगड़ गया है। न्यायपालिका का केंद्रीकरण जितना अधिक होगा, संघीय ढाँचा उतना ही कमज़ोर होगा।
- केंद्रीकृत न्यायपालिका का केंद्र के हितों के अधिक अनुकूल होना: संयुक्त राज्य अमेरिका में विधि शोधकर्त्ताओं के एक अनुभवजन्य शोध से पता चलता है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संघीय कानून की तुलना में किसी राज्य कानून को असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर देने की संभावना अधिक होती है।
  - इस शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक केंद्रीकृत न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा एकात्मवाद (संघवाद के विपरीत) की ओर झुके होने की प्रवृत्ति रखती है।

नोट :

- समान संघीय व्यवस्था वाले नाइजीरिया में हुए एक शोध से पता चला कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य इकाइयों पर केंद्र सरकार की अधिकारिता का पक्ष-समर्थन करता है। उसका यह दृष्टिकोण हाल ही में खनिज अधिकारों एवं उप-अधिकारों संबंधी मुकदमों में प्रकट हुआ जहाँ उसने उन व्याख्याओं की पुष्टि की जो राज्यों पर केंद्र के अधिकारों के अधिभावी होने का समर्थन करते हैं।

- उच्च न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: वर्तमान में भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक कॉलेजियम की भूमिका निभाते हुए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति या उनके स्थानांतरण अथवा उपयुक्त रूप से वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति (या नियुक्ति में देरी) में प्रभावी शक्ति का उपभोग करता है। इस स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बीच शक्ति संतुलन के संबंध में कुछ भी कहना शेष नहीं रह जाता।
- स्थानीय महत्त्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: सर्वोच्च न्यायालय के इस आक्रामक हस्तक्षेपकारी रुख के ही कारण देश की किसी भी समस्या के रामबाण उपचार के लिये सीधे सर्वोच्च न्यायालय पहुँचने की प्रवृत्ति बढ़ी है। ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में दिल्ली के कुछ लोगों ने दीपावली मनाने के तरीकों पर अंकुश के लिये अपनी याचिका सीधे सर्वोच्च न्यायालय को पेश कर दी थी।
  - सर्वोच्च न्यायालय उन मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा है जो स्पष्ट रूप से स्थानीय महत्त्व के होते हैं और किसी संवैधानिक प्रश्न से उनका संबंध नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ही हाल में कहा कि ''ऐसे मामले संस्था को निष्क्रिय बना रहे हैं... ये मामले न्यायालय के महत्त्वपूर्ण समय को बर्बाद करते हैं, जो समय गंभीर मामलों पर या अखिल भारतीय मामलों पर निवेश किया जा सकता था।''
- उच्च न्यायालय का निरर्थक होना: जब भी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किसी अपील पर विचार करता है तो वह उच्च न्यायालय को प्रश्नगत करता है। यह उच्च न्यायालय को एक निरर्थक निकाय की तरह प्रकट करता है।
- उच्च न्यायालय प्रभावी रूप से जनहित याचिकाओं का निपटारा कर सकता है: जब भी सर्वोच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले पर जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करता है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है, तब उच्च न्यायालय की प्रभावशीलता पर संदेह पैदा होता है।
- न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समानांतर पदानुक्रमों का निर्माण (चाहे वह प्रतिस्पर्द्धा आयोग हो या कंपनी कानून न्यायाधिकरण या उपभोक्ता अदालतें) उच्च न्यायालयों की स्थिति की अनदेखी करता प्रतीत होता है।
  - कानूनों का मसौदा इस तरह तैयार किया गया है जैसे उच्च न्यायालय की कोई भूमिका ही नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ही सीधे अपीलीय अदालत के रूप में कार्य करता है।

आगे की राह

- सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं ही आत्म-त्याग (self-abnegation) के महत्त्व की पहचान करनी चाहिये और उच्च न्यायालयों को पुन:सशक्त कर संघीय संतुलन बहाल करना चाहिये। यह देश के सर्वश्रेष्ठ हित में होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के तहत हुई थी और यह अपेक्षाकृत नया संस्थान है। दूसरी ओर देश के कुछ उच्च न्यायालय 1860 के दशक से अस्तित्व में हैं (और उनमें से कुछ तो प्रेसीडेंसियों के सर्वोच्च न्यायालयों के रूप में इससे भी पहले से अस्तित्व में थे)।
  - इसलिये यह उचित होगा कि अनजाने में भी उनकी भूमिका को कमतर नहीं किया जाए।
- डॉ. अंबेडकर द्वारा परिकल्पित संवैधानिक ढाँचे के कुशल कार्यकरण के लिये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच एक बेहतर संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

सड़क सुरक्षा: महत्त्व और आवश्यकता

सड़क सुरक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, फिर भी भारत में इस दिशा में उचित ध्यान नहीं दिया गया है। भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 150,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं जबकि 500,000 लोग घायल होते हैं।

यद्यपि भारत ने सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को कम करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रभावशाली लक्ष्य निर्धारित किये हैं, लेकिन इस रणनीति की सफलता के लिये कानूनों के सख्त कार्यान्वयन और समर्पित प्रवर्तन कार्यबल का अभी भी अभाव ही है।

नोट :

लक्ष्य निर्धारित करते समय आशावादी बने रहना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है कि भारत में सड़क सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन के लिये सड़क दुर्घटनाओं और उपलब्ध अवसंरचना के पिछले रिकॉर्ड का ध्यान रखा जाए।

भारत में सड़क सुरक्षा

सड़क सुरक्षा के मामले में भारत की स्थिति

- यद्यपि पिछले दशक में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक के लिये कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रकाशित आँकड़े बताते हंत कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या वर्ष 2011 में 1,42,485 से बढ़कर वर्ष 2019 में 1,51,113 हो गई।
  - वर्ष 2020 के लिये मंत्रालय द्वारा डेटा प्रकाशित किया जाना अभी बाकी है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) के 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्या' (Accidental Deaths & Suicides in India- 2020) शीर्षक वार्षिक प्रकाशन से पता चलता है कि वर्ष 2020 में 1,33,201 मौतें दर्ज हुईं (वर्ष 2019 की तुलना में गिरावट)।
  - यद्यपि दुर्घटना मृत्यु दर (प्रति 100 दुर्घटनाओं पर मृत्यु की संख्या) जो वर्ष 2001 में 26.9 थी, वर्ष 2011 में बढ़कर 28.63 और वर्ष 2020 में 37.54 हो गई।
  - इसके अलावा, वर्ष 2020 में दुर्घटनाओं में कमी मुख्य रूप से कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आई जब सड़कों पर बेहद सीमित संख्या में मोटर वाहन परिचालित थे।

सड़क सुरक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप

- सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2014 में सड़क सुरक्षा पर तीन सदस्यीय न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन पैनल की स्थापना की थी जिसने 'ड्रंक ड्राइविंग' पर नियंत्रण के लिये राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।
  - इसने राज्यों को हेलमेट पहनने पर कानून लागू करने का भी निर्देश दिया था।
  - समिति ने सड़क सुरक्षा नियमों के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने के महत्त्व पर बल दिया।
- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क सुरक्षा के संबंध में कई निर्देश जारी किये जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश भी शामिल थे:
  - एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करना
  - सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना करना
  - सड़क सुरक्षा कार्ययोजना की अधिसूचना जारी करना
  - ज़िला सड़क सुरक्षा समिति का गठन करना
  - ट्रॉमा केयर सेंटर्स की स्थापना करना
  - स्कूलों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना

भारत द्वारा की गई कुछ अन्य पहल

- MoRTH ने वर्ष 2020 में स्वीडन में आयोजित 'वैश्विक लक्ष्य 2030 की प्राप्ति के लिये सड़क सुरक्षा पर तृतीय उच्चस्तरीय वैश्विक सम्मेलन' (Third High Level Global Conference on Road Safety for Achieving Global Goals 2030) में भाग लिया जहाँ वर्ष 2030 तक भारत में शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
- भारत ने 'ब्रासीलिया घोषणा' (Brasilia Declaration) पर हस्ताक्षर किये हैं और दुर्घटना मृत्यु दर में कमी लाने के लिये प्रतिबद्धता जताई है।
  - ब्राज़ील में आयोजित 'सड़क सुरक्षा पर द्वितीय वैश्विक उच्चस्तरीय सम्मेलन' में इस घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू किया गया है जिसके तहत यातायात उल्लंघन, दोषपूर्ण वाहन, किशोर ड्राइविंग आदि के लिये दंड में वृद्धि की गई है।

नोट :

- इसके तहत एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष (Motor Vehicle Accident Fund) का प्रावधान किया गया है जो भारत में सभी सड़क उपयोगकर्त्ताओं को कुछ प्रकार की दुर्घटनाओं के लिये अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।
- इसने एक 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड' (National Road Safety Board) का भी प्रावधान किया है जिसे एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाना है।
- इसके साथ ही 'गुड समैरिटन' (Good Samaritans) के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी चुनौतियाँ

- दोषपूर्ण मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019: मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने यातायात नियमों के उल्लंघन के लिये मौजूदा अर्थदंड में वृद्धि की है जिसकी इस आधार पर आलोचना की गई है कि एक औसत भारतीय व्यक्ति की जुर्माना चुका सकने की क्षमता अभी भी सीमित है।
  - इसके साथ ही, यातायात उल्लंघन के कुछ ही मामलों को आरोपी द्वारा अदालत में चुनौती दी जाती है।
  - इस प्रकार, संशोधित कानून के निवारक प्रावधान ज़मीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव शायद ही उत्पन्न कर सकें।
- प्रवर्तन जनशक्ति की कमी: यातायात की लगातार बढ़ती मात्रा से निपटने के लिये उपलब्ध प्रवर्तन कार्यबल (Enforcement Manpower) अपर्याप्त है। प्रक्रियाओं का स्वचालन अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और बड़े शहरों तक ही सीमित है।
- वित्त की कमी: विद्यमान विभिन्न दोषों के परिहार और यातायात सुगमकारी उपायों के उपक्रम के लिये धन की कमी है।
  - यद्यपि 60% से अधिक सड़क दुर्घटनाएँ कथित तौर पर वाहनों की तेज़ गति के कारण होती हैं, लेकिन 'स्पीड लिमिट' साइनबोर्ड राज्य राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर भी प्राय: गायब ही मिलते हैं।
- ड्राइविंग कौशल में सुधार: किसी भी व्यक्ति के लिये ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना प्राय: आसान है, क्योंकि इसके लिये कोई मानक लिखित और कठोर व्यावहारिक परीक्षा प्रणाली मौजूद नहीं है।
  - कई राज्यों में टेस्ट ड्राइविंग ट्रैक भी मौजूद नहीं हैं। यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है तो 'रिफ्रेशर ट्रेनिंग' के लिये कोई संस्थान उपलब्ध नहीं है।
- कानूनों का सख्त प्रवर्तन नहीं: सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों में लगभग दो-तिहाई दुपहिया वाहन चालक और उन पर पीछे बैठे लोग होते हैं। कानून द्वारा हेलमेट पहनना अनिवार्य तो बनाया गया है, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति की कमी के कारण इसे सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।
  - यहाँ तक कि 'किशोरों द्वारा अपराध' से संबंधित एक संशोधित प्रावधान को भी सख्ती से लागू नहीं किया जाता है।
- सटीक आँकड़ों की अनुपलब्धता: भारत में सड़क सुरक्षा संबंधी आँकड़े समस्याग्रस्त है। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु एवं आघात संबंधी आँकड़ों को विशेषज्ञ वास्तविक स्थिति से कम या अल्प-आकलन मानते हैं। IIT दिल्ली के परिवहन अनुसंधान एवं आघात निवारण कार्यक्रम (Transportation Research and Injury Prevention Programme) का अनुमान है कि समग्र रूप से पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना चोटों को 20 गुना कम और जिन मामलों में अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है, उन्हें चार गुना कम आकलित किया जाता है।

आगे की राह

- प्रथम श्रेणी के मानदंडों का कार्यान्वयन: एक पेशेवर सड़क वातावरण की ओर आगे बढ़ने के लिये प्रथम श्रेणी के सुधारों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है जो सड़क अवसंरचना की गुणवत्ता, भेद्य उपयोगकर्त्ताओं के लिये सुविधाओं की व्यवस्था और एक प्रशिक्षित, पेशेवर एवं अधिकार-प्राप्त तंत्र द्वारा नियमों के शून्य-सहनशील प्रवर्तन (zero-tolerance enforcement) को संबोधित करे।
  - स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए ज़िला सड़क सुरक्षा समितियों की एक अनिवार्य मासिक सार्वजनिक सुनवाई सुरक्षा चिंताओं को उजागर कर सकती है और उनकी अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा की जा सकती है।
- बेहतर डेटा संग्रह: दुर्घटना के सही कारण की पहचान करने और उपचारात्मक उपाय करने के लिये MoRTH का दुर्घटना डेटा संग्रह प्रारूप आवश्यक है।

नोट :

- इसी प्रकार, एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (Integrated Road Accident Database- iRAD) परियोजना का उद्देश्य iRAD मोबाइल एवं वेब एप्लिकेशन के माध्यम से विभिन्न हितधारकों से डेटा एकत्र कर देश में दुर्घटना डेटाबेस को समृद्ध करना और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है ।
- इन परियोजनाओं का एकीकरण कुछ हद तक समन्वय स्थापित कर सकता है और डेटा संग्रह प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्त्ता-अनुकूल बना सकता है।

- बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय: यातायात कानूनों के खराब प्रवर्तन के कारण और जानें नहीं गँवाई जा सकती हैं।
  - आधिकारिक वित्त प्रदान कर राज्यों के बुनियादी ढाँचे में सुधार लाने और उसे सशक्त बनाने के लिये राज्यों और केंद्र का एकसमान दृष्टिकोण होना महत्त्वपूर्ण है।
  - सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिये केवल लक्ष्य तय कर लेना ही पर्याप्त और व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं है। उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समर्पित प्रयास करने की भी आवश्यकता है।
- व्यवहार में बदलाव लाना: जबकि यातायात सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू करना बेहद प्रभावी होगा, सार्वजनिक संवाद के माध्यम से पीड़ितों के परिजनों पर दुर्घटनाओं के प्रभाव के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने से भी दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - यह महत्त्वपूर्ण है कि सड़क उपयोगकर्त्ताओं और आम लोगों को सड़क सुरक्षा के मानदंडों और भावना के बारे में जागरूक किया जाए।
  - रेज़ीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन/स्थानीय निकायों/गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय सहायता से आवासीय क्षेत्रों में नियमित सड़क सुरक्षा जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये।

EV विनिर्माण को बढ़ावा

संदर्भ

इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles- EVs) नवीनतम ऑटोमोटिव ट्रेंड है और सभी विकसित तथा विकासशील देश पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (Internal Combustion Engine- ICE) वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आगे बढ़ने को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और शून्य कार्बन उत्सर्जन एवं सतत विकास के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये पूरी दुनिया EVs प्रौद्योगिकी की ओर आकर्षित हो रही है।

EVs मोबिलिटी (विशेष रूप से दुपहिया और तिपहिया खंड में) के लिये भारत का बढ़ता बाज़ार भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र को न्यून कार्बन मार्ग की ओर आगे बढ़ने हेतु एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

इस क्षेत्र में अधिकाधिक रोज़गार सृजन, स्थानीय वायु प्रदूषण के शमन और कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने की क्षमता है। हालाँकि ये अवसर तभी अमल में आ सकते हैं जब नीतिनिर्माता और भारत के EVs क्षेत्र के हितधारक स्थानीय तथा अधिक लचीली आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करें।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहन

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का वर्तमान परिदृश्य

- वर्तमान में भारत में बिकने वाले सभी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 3% से भी कम है। यह स्थिति दिसंबर 2021 में पहली बार EVs पंजीकरण के 50,000 इकाइयों के पार जाने और अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज होने के बावजूद है।
- हालाँकि बिक्री किये गए इलेक्ट्रिक वाहनों में 80% हिस्सेदारी कम लागत और कम गति वाले तिपहिया वाहनों की रही है, कुल मिलाकर उनकी बिक्री में अगली पीढ़ी की दुपहिया वाहन कंपनियों के उदय के कारण गति आई है।
- ई-अमृत (e-AMRIT- Accelerated e-Mobility Revolution for India's Transportation) पोर्टल के अनुसार भारत में दिसंबर 2021 तक केवल 7,96,000 EVs पंजीकृत किये गए हैं और केवल 1,800 सार्वजनिक EVs चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये गए हैं।

नोट :

- जबकि वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2020 तक EVs की बिक्री में 133% की वृद्धि हुई, पारंपरिक EVs वाहनों की बिक्री की तुलना में यह संख्या नगण्य ही प्रतीत होती है। वित्त वर्ष 2021-22 में देश में बिक्री हुए कुल वाहनों में से केवल 1.32% ही इलेक्ट्रिक वाहन थे।

EV विनिर्माण के संबंध में हाल में किये गए उपाय

- FAME और PLI योजनाएँ: भारत सरकार फेम-2 [FAME-II - Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles Scheme-II] जैसे विभिन्न नीतिगत उपायों के माध्यम से EVs निर्माण के अधिकाधिक स्थानीयकरण पर ज़ोर दे रही है।
  - इसने महत्त्वपूर्ण EVs घटकों के लिये स्वदेशी आपूर्ति शृंखला विकसित करने हेतु ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव घटकों और उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी क्षेत्र में विनिर्माताओं के लिये कई उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (Production Linked Incentive-PLI) योजनाएँ भी शुरू की हैं।
- उपभोक्ता-केंद्रित प्रोत्साहन: बिक्री को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने करों में छूट, सब्सिडी एवं ब्याज अनुदान योजनाओं जैसे कई उपभोक्ता-केंद्रित प्रोत्साहन (Consumer-Centric Incentives) भी शुरू किये हैं जिसका उद्देश्य EVs मोबिलिटी विकल्पों के लिये बड़े पैमाने पर माँग को प्रेरित करना है।
- गीगाफैक्टरी में बैटरी विनिर्माण: हाल ही में सरकार ने स्थानीय स्तर पर उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी निर्माण हेतु PLI योजना का लाभ उठाने के लिये 10 कंपनियों से बोलियाँ आमंत्रित करने की घोषणा की।
  - अगली पीढ़ी की इन बैटरियों का निर्माण 'गीगाफैक्टरी' (gigafactories) में किया जाएगा जो एंड-टू-एंड बैटरी विनिर्माण और बड़े पैमाने पर उत्पादन को चिह्नित करता है।
- चार्जिंग अवसंरचना के लिये दिशा-निर्देश: सरकार ने चार्जिंग अवसंरचना के लिये अपने दिशा-निर्देश को भी संशोधित किया है जिसमें सार्वजनिक भूमि के उपयोग के लिये राजस्व-साझाकरण मॉडल को शामिल किया गया है।
  - सरकार ने केंद्रीय बजट के माध्यम से बैटरी स्वैपिंग नीति, इंटरऑपरेबिलिटी मानकों और विशेष मोबिलिटी क्षेत्रों के कार्यकरण का वादा कर इन घोषणाओं की पुष्टि की है।

EV विनिर्माण से संबद्ध चुनौतियाँ

- आपूर्ति शृंखला व्यवधान: कोविड-19 महामारी और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के कारण पिछले दो वर्ष आपूर्ति शृंखला व्यवधान की स्थिति रही जिसने वैश्विक विनिर्माण रणनीतियों में मूलभूत परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है।
  - उच्च-तकनीकी उद्योगों के लिये विशेष रूप से इस परिदृश्य का उभार हुआ जो अभी भी सिलिकॉन चिप्स और बैटरी जैसे महत्त्वपूर्ण घटकों की कमी सहित विभिन्न लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
  - भारत की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी चिप्स (जैसे वाहनों में नई मल्टीमीडिया सुविधाओं को संचालित करने वाले चिप्स) की कमी के कारण उत्पादन बंद करना पड़ा।
- महँगी सामग्री: आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और आपूर्ति शृंखला को लघु करने की दौड़ का परिणाम यह हुआ कि महत्त्वपूर्ण घटक निषेधात्मक रूप से महँगे होते जा रहे हैं।
  - इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में भारतीय विनिर्माता लिथियम-आयन बैटरी पाने के लिये भी संघर्ष कर रहे हैं जो बड़े पैमाने पर चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान से आयात किये जाते हैं।
    - बैटरी-ग्रेड लिथियम कार्बोनेट (एक प्रमुख इनपुट) के मूल्य नवंबर 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में 400% तक बढ़ गए।
- कच्चे माल के लिये आयात निर्भरता: भारत के पास लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे महत्त्वपूर्ण कच्चे माल का अभाव है जिनका उपयोग लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी सेल बनाने के लिये किया जाता है।
  - नतीजतन भारतीय निर्माताओं को चीन, जापान, कोरिया और ताइवान से बैटरी सेल के आयात पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है।
  - हालाँकि भारत को PLI योजना के तहत घरेलू स्तर पर ACC बैटरी निर्माण के संबंध में निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन अधिकांश बोलीदाताओं द्वारा वर्ष 2025 से ही विनिर्माण शुरू किये जाने की उम्मीद है।
    - इस प्रकार, बैटरी पैक की घरेलू असेंबलिंग के लिये भारत की आयात-संचालित रणनीति अभी कुछ और वर्षों तक बनी रहेगी।

नोट :

आगे की राह

- प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना: ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भविष्य में भारतीय EVs पारितंत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिये त्वरित गति से कार्य करना चाहिये जो अब तक आयात पर बहुत अधिक निर्भर बना रहा है।
  - भारत की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करने और विभिन्न विनिर्माण समूहों के भीतर एवं उनके मध्य क्षमताओं को उन्नत करने में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं।
- दुपहिया वाहनों पर आरंभिक ज़ोर: दुपहिया वाहन EVs घटक निर्माण को स्थानीयकृत करने का एक अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। यह खंड पहले से ही सभी नए सवारी इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरणों में लगभग आधे भाग की हिस्सेदारी रखते हैं।
  - भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा दुपहिया विनिर्माता है और बैटरी गीगाफैक्ट्री स्थापित करने के लिये लगाई गई बोलियाँ नए युग की प्रौद्योगिकियों के लिये एक स्वस्थ इच्छा का संकेत देती हैं जो आपूर्ति शृंखला को लघु करने में मदद कर सकती हैं।
  - यह उपयुक्त समय है कि बड़ी कंपनियाँ सक्रिय हों और अपनी EVs महत्त्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाना शुरू करें।
- बैटरी विनिर्माण पर मुख्य ध्यान: भारत को मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर बैटरी विनिर्माण कर और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम कर एक आपूर्ति शृंखला का निर्माण करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
  - हाल ही में टेस्ला इंक (Tesla, Inc.) ने भारत में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से एक भारतीय सहायक कंपनी टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को निगमित किया है जहाँ स्थानीय रूप से टेस्ला कारों का उत्पादन किया जाएगा।
  - इसी तरह, भारत को स्थानीय उत्पादन सुविधाएँ स्थापित करने के लिये घरेलू खिलाड़ियों के साथ ही विदेशी बैटरी निर्माताओं को भी आकर्षित करने की आवश्यकता है। इस तरह के उपायों से बैटरी एवं EVs की लागत कम होगी और लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार होगा।
- शहरी अपशिष्ट का उपयोग: भारतीय औद्योगिक घरानों (रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप और टाटा केमिकल्स) द्वारा हाल ही में स्थानीय रूप से बैटरी सेल का निर्माण करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।
  - हालाँकि एक क्लोज्ड लूप में कार्य करते हुए बैटरी विकास के संबंध में रणनीतियों को समायोजित करने की तत्काल आवश्यकता है।
  - विनिर्माताओं को बैटरियों के जीवन चक्र के बारे में विचार करने और शहरी अपशिष्ट का उपयोग कर सकने के संबंध में योजना तैयार करने की आवश्यकता है ताकि बैटरियों से उपयोगी सामग्री की पुन: प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।
    - इस रणनीति में नई बैटरियों के उत्पादन के लिये आवश्यक 50% सामग्री को बचा सकने की क्षमता है।

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी

संदर्भ

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व नियुक्त एवं पदोन्नति से लेकर पुरस्कृत किये जाने और विज्ञान अकादमियों के सदस्य/फेलो के रूप में चुने जाने से लेकर वैज्ञानिक संस्थानों में नेतृत्वकारी पदों पर आसीन किये जाने तक समग्र कैरियर प्रक्षेपवक्र में नज़र आता है। विज्ञान अकादमियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति वैज्ञानिक समुदाय के अंदर उनकी समग्र स्थिति को दर्शाती है। इस समस्या को दो स्तरों पर संबोधित किये जाने की आवश्यकता है- पहला, सामाजिक स्तर पर जिसके लिये दीर्घकालिक प्रयास की आवश्यकता और दूसरा, नीतिगत एवं संस्थागत स्तर पर, जिसे तत्काल प्रभाव से शुरू किया जा सकता है।

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

वैश्विक रुझान

- 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कई यूरोपीय अकादमियों में महिला वैज्ञानिकों को सदस्य के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- 'जेंडर इन साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एन्जनिरिंग (Gender in Science, Innovation, Technology and Engineering- GenderInSITE), इंटर एकेडमी पार्टनरशिप (InterAcademy Partnership- IAP) और इंटरनेशनल साइंस काउंसिल (International Science Council- ISC) द्वारा संयुक्त रूप से किये गए एक हालिया अध्ययन

नोट :

से पता चलता है कि वरिष्ठ अकादमियों (senior academies) में महिलाओं की निर्वाचित सदस्यता में मामूली वृद्धि हुई है जो वर्ष 2015 में 13% थी जो वर्ष 2020 में बढ़कर 16% हो गई है।

- हालाँकि यूथ एकेडमी (Young Academies) के मामले में स्थिति बेहतर है, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व (42% औसत हिस्सेदारी) वहाँ भी कम है।
- वरिष्ठ अकादमियों में 'अकैडमी ऑफ़ साइंसेज़ ऑफ क्यूबा' (Academy of Sciences of Cuba) 33% महिला प्रतिनिधित्व के साथ सबसे आगे है।

भारत-विशिष्ट आँकड़े

- वर्ष 2020 में किये गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (Indian National Science Academy- INSA) के 1,044 सदस्यों में से केवल 89 महिलाएँ हैं जो कुल मात्र का 9% है। वर्ष 2015 में उनके प्रतिनिधित्व में और अधिक कमी देखगी गई जिसमें 864 सदस्यों में मात्र 6% महिला वैज्ञानिक सदस्य शामिल थी।
- इसी प्रकार, INSA के शासी निकाय में वर्ष 2020 में कुल 31 सदस्यों में से केवल 7 महिलाएँ शामिल थीं जबकि वर्ष 2015 में इसमें कोई महिला सदस्य शामिल नहीं थी।
- तीन अकादमियाँ—भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA), भारतीय विज्ञान अकादमी (IAS) और नेशनल अकादमी (NAS) पेशेवर निकायों और संबंधित संस्थानों सहित विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं।

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु शुरू की गई पहलें

- देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (Science Technology Engineering and Mathematics-STEM) के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को संबोधित करने हेतु 'विज्ञान ज्योति कार्यक्रम' (Vigyan Jyoti Programme) शुरू किया गया था।
  - आरंभ में इसे स्कूल स्तर पर शुरू किया गया था जहाँ कक्षा 9-12 की मेधावी छात्राओं को STEM क्षेत्र में उच्च शिक्षा और करियर बनाने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
  - हाल ही में कार्यक्रम के दूसरे चरण का 100 ज़िलों में विस्तारित किया गया है।
- महिला वैज्ञानिकों को शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2014-15 में 'किरण योजना' (KIRAN scheme) शुरू की गई।
  - योजना के तहत शामिल 'महिला वैज्ञानिक योजना' बेरोज़गार महिला वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को करियर के अवसर प्रदान करती है, विशेषकर उन महिलाओं को जिनके करियर में एक अवरोध आया है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence-AI) नवाचारों को बढ़ावा देने और भविष्य में AI-आधारित नौकरियों के लिये कुशल जनशक्ति तैयार करने के लक्ष्य के साथ महिला विश्वविद्यालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की हैं।
- महिलाओं के लिए इंडो-यूएस फेलोशिप कार्यक्रम के तहत महिला वैज्ञानिकों को अमेरिका में अनुसंधान प्रयोगशालाओं में कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया है।
- महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता हेतु विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन (Consolidation of University Research for Innovation and Excellence in Women Universities- CURIE) कार्यक्रम का उद्देश्य महिला विश्वविद्यालयों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के सृजन हेतु अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना में सुधार लाना और अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना करना है।
- STEM क्षेत्र में लैंगिक समानता का आकलन करने हेतु एक व्यापक चार्टर एवं फ्रेमवर्क विकसित करने के लिये 'जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस' (Gender Advancement for Transforming Institutions- GATI) कार्यक्रम शुरू किया गया।

नोट :

महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के प्रमुख कारण

- रूढ़िबद्धता: STEM क्षेत्र में महिलाओं की कमी केवल कौशल अपर्याप्तता के कारण नहीं है बल्कि निर्दिष्ट रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं (Stereotypical Gender Roles) का भी परिणाम है।
  - किसी महिला वैज्ञानिक को नौकरी देने या उसे नेतृत्वकारी पद प्रदान करने का निर्णय लेते समय उसकी योगता के बजाय उसकी पारिवारिक स्थिति या फिर जीवन साथी के स्तर को ध्यान में रखा जाता है।
  - यह एक सामान्य मानदंड सा बन गया है कि पहले से ही काम पर रखे गए फैकल्टी की महिला पत्नियों को वरीयता नहीं दी जायेगी चाहे वे कितनी भी मेधावी हों।
- पितृसत्तात्मक सोच और सामाजिक कारण: नियुक्ति या फेलोशिप एवं अनुदान आदि प्रदान करने में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रकट होता है।
  - विवाह एवं संतानोत्पत्ति से संबंधित तनाव, सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने का दबाव और घरेलू बंधन (घर चलाने से संबंधित ज़िम्मेदारी, बुजुर्गों की देखभाल आदि) इन 'गैर-पारंपरिक' क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में और अवरोध उत्पन्न करते हैं।
- रोल मॉडल का अभाव: लैंगिक समानता को अवरुद्ध करने में संगठनात्मक कारकों ने भी बड़ी भूमिका है। महिला नेतृत्वकर्त्ताओं और महिला रोल मॉडलों की कमी ने भी संभवत: अधिकाधिक महिलाओं को इन क्षेत्रों में प्रवेश को अवरुद्ध किया है।
- सहायक संस्थागत संरचना का अभाव: गर्भावस्था के दौरान सहायक संस्थागत संरचनाओं की अनुपस्थिति और फील्डवर्क एवं कार्यस्थल में सुरक्षा-संबंधी समस्याएँ महिलाओं को कार्यबल से बाहर होने को विवश करती हैं।
  - इन क्षेत्रों में महिलाओं की कम संख्या के लिये न केवल सामाजिक मानदंड बल्कि गुणवत्ताहीन शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित समस्याएँ भी ज़िम्मेदार हैं।

आगे की राह

- विज्ञान अकादमियों की भूमिका: यद्यपि सभी क्षेत्रों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व देखा जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में इस स्थिति को देखते हुए वैज्ञानिक समुदाय एवं विज्ञान अकादमियों को महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिये रणनीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है।
  - इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि विज्ञान अकादमियों में महिलाओं को बढ़ावा देने और उन्हें बनाए रखने के लिये उनकी भूमिका एवं योगदान को प्रतिबिंबित करना होगा और इस तरह विज्ञान के क्षेत्र को महिलाओं के प्रति भी समावेशी और संवेदनशील बनाना होगा।
- व्यवहारिक परिवर्तन लाना: सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से कमज़ोर लैंगिक भागीदारी उत्पन्न होती है जिसे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाकर संबोधित किया जा सकता है।
  - इसे तभी परिवर्तित किया जा सकता है जब महिलाओं को नेतृत्वकारी पद प्रदान किया जाए।
  - STEM क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिये ताकि वे अगली पीढ़ी की बालिकाओं के लिये STEM क्षेत्र में आगे बढ़ने हेतु रोल मॉडल बन सकें।
  - यह आवश्यक है कि हम लिंगभेद एवं संस्थागत बाधाओं को समझें और दूर करें जो अधिक महिलाओं के अधिक से अधिक वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रवेश को अवरुद्ध करते हैं।
- उच्च प्रतिनिधित्व के महत्त्व को समझना: समावेशी एवं धारणीय समाजों का निर्माण करने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है।
  - लैंगिक समानता न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है बल्कि एक व्यावसायिक प्राथमिकता भी है। जिन संगठनों द्वारा अपनी कार्यकारी टीमों में अधिक विविधता को बढ़ावा दिया जाता है उन संगठनों की लाभ और नवाचार क्षमता अधिक होने की संभावना होती हैं।
  - यथास्थिति को तेज़ी से परिवर्तित करने के लिये हम सभी को अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। लैंगिक असमानता के विरुद्ध इस युद्ध में परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों, कंपनियों और सरकारों सभी को साथ मिलकर कार्य करना होगा।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

प्राकृतिक खेती हेतु रणनीति

संदर्भ

अपने बजट संभाषण में भारत की वित्त मंत्री ने प्राकृतिक, रसायन-मुक्त, जैविक एवं शून्य-बजट प्राकृतिक खेती (Zero-Budget Natural Farming- ZBNF) के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पिछले चार बजट संभाषणों में यह तीसरी बार है जब उन्होंने (शून्य बजट) प्राकृतिक खेती का उल्लेख किया है।

प्राकृतिक खेती—जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कम संसाधनों के साथ अधिक परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रकृति के साथ समन्वय में कार्य करने की कला है।

हालाँकि यह अभ्यास अभी तक पैदावार में गिरावट और किसानों की आय में अधिक सुधार करने में सफल नहीं रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिये, किसानों को रसायन-मुक्त खेती के लिये प्रोत्साहन देना और उन्हें पहले से ही प्राकृतिक खेती में संलग्न अन्य किसानों एवं संस्थाओं की सहायता उपलब्ध करना एक आदर्श कदम होगा।

प्राकृतिक या रसायन-मुक्त खेती

प्राकृतिक खेती और इसका महत्त्व

- खेती के इस दृष्टिकोण को सर्वप्रथम एक जापानी किसान सह दार्शनिक मसानोबु फुकुओका (Masanobu Fukuoka) ने वर्ष 1975 में प्रकाशित अपनी किताब 'द वन-स्ट्रॉ रेवोलुशन' (The One-Straw Revolution) के माध्यम से प्रस्तुत किया था।
- यह एक विविधिकृत कृषि प्रणाली है जो फसलों, वृक्षों और पशुधन को एकीकृत करती है, जिससे कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग का अवसर प्राप्त होता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक खेती को पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture) का एक रूप माना जाता है जो पृथ्वी की रक्षा के लिये एक प्रमुख रणनीति है।
- यह मृदा की उर्वरता एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य की पुनर्बहाली और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के न्यूनीकरण या शमन जैसे विविध लाभों के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने का वादा करता है।
- इसमें भूमि अभ्यासों का प्रबंधन करने और वायुमंडल से कार्बन को मृदा एवं पादपों में जब्त (Sequester) करने की क्षमता है जहाँ यह वास्तव में उपयोगी साबित होता है।

इस संबंध में शुरू की गई विभिन्न पहलें

- भारत में प्राकृतिक खेती को परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के अंतर्गत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम (BPKP) के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है।
  - BPKP पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर लक्षित है जो बाह्य रूप से खरीदे जाने वाले आदानों/इनपुट्स को कम करता है।
- कृषि-वानिकी पर उप-मिशन (SMAF) का उद्देश्य किसानों को कृषि फसलों के साथ ही बहु-उपयोगी वृक्षों के रोपण के लिये प्रोत्साहित करना है, जो न केवल जलवायु लचीलेपन एवं किसानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने के दृष्टिकोण से लाभप्रद है बल्कि लकड़ी-आधारित उद्योग एवं हर्बल उद्योग के लिये उन्नत फीडस्टॉक भी प्रदान कर सकता है।
- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (National Mission on Sustainable Agriculture- NMSA) को प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रदर्शन और प्रसार के लिये शुरू किया गया है, ताकि कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति लचीला बनाया जा सके।

नोट :

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region- MOVCDNER) NMSA के अंतर्गत एक उप-मिशन है जिसका उद्देश्य एक मूल्य शृंखला प्रारूप में प्रमाणित जैविक उत्पादन विकसित करना है।
- वर्ष 2022-23 के बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 10,433 करोड़ रुपए का 4.2 गुना (पिछले वर्ष की तुलना में) अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है जो रसायन-मुक्त खेती के ज़मीनी कार्यान्वयन हेतु धन निर्धारित करेगा।

संबद्ध मुद्दे

- सिक्किम (भारत का पहला जैविक राज्य) में जैविक खेती की ओर आगे बढ़ने के बाद पैदावार में कुछ गिरावट देखी गई है।
- ZBNF में उपज लाभ की गिरावट को देखते हुए कुछ वर्षों बाद कई किसान पारंपरिक खेती की ओर लौट गए हैं।
- जबकि ZBNF ने निश्चित रूप से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद की है, उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाने में इसकी भूमिका अभी तक निर्णायक नहीं हो सकी है।
- किसानों द्वारा रसायन-मुक्त कृषि की ओर आगे बढ़ने के मार्ग में प्राय: इस अवरोध की शिकायत भी की जाती है कि आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की कमी है। प्रत्येक किसान के पास अपने स्वयं के आदान या इनपुट्स विकसित करने के लिये समय, धैर्य या श्रम का अभाव होता है।
- 'नेचर सस्टेनेबिलिटी' जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि जबकि प्राकृतिक आदानों का पोषक मूल्य लो-इनपुट वाले खेतों (कम मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करने वाले खेतों) में एक समय उपयोग किये जाने वाले रसायनों के समान ही है, हाई-इनपुट वाले खेतों में यह कम है।
  - जब इस तरह की पोषक तत्वों की कमी वृहत स्तर पर संयुक्त होती है तो यह गुज़रते वर्षों के साथ उपज को प्रभावित कर सकती है और इससे खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- हालाँकि वर्ष 2022-23 के बजट में देश भर में प्राकृतिक या रसायन-मुक्त खेती को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है, लेकिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को कोई विशेष आवंटन प्रदान नहीं किया गया है।
  - PKVY और राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (National Project on Organic Farming) जैसी वर्तमान में कार्यान्वित योजनाओं का भी बजट में कोई उल्लेख नहीं हुआ है।

रसायन-मुक्त/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- गंगा घाटी से परे जाना: गंगा घाटी से परे भी वर्षा सिंचित क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना।
  - वर्षा सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्रों (जहाँ सिंचाई प्रचलित है) की तुलना में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का केवल एक तिहाई उपयोग ही करते हैं।
    - इन क्षेत्रों में रसायन-मुक्त खेती की ओर आगे बढ़ना आसान होगा।
  - साथ ही, किसानों को लाभ होने की संभावना है क्योंकि इन क्षेत्रों में फसल की वर्तमान पैदावार कम है।
- सुगम संक्रमण के लिये जोखिम निवारण: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (सरकार की फसल बीमा योजना) में रसायन-मुक्त खेती की ओर आगे बढ़ते किसानों के स्वत: नामांकन को सक्षम करना।
  - कृषि में कोई भी परिवर्तन/ट्रांजीशन, जैसे फसल विविधीकरण या कृषि पद्धतियों में परिवर्तन किसानों के जोखिम में वृद्धि करता है।
  - इस तरह के जोखिमों को कवर किये जाने पर किसान ऐसे किसी परिवर्तन/ट्रांजीशन के लिये अधिक प्रेरित होंगे।
- कृषि क्षेत्र के MSMEs को सहायता प्रदान करना: रसायन-मुक्त कृषि के लिये इनपुट्स का उत्पादन करने वाले छोटे उद्यमों को सरकार से सहायता प्रदान की जानी चाहिये।
  - आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों की अनुपलब्धता की समस्या को दूर करने के लिये प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन को ग्राम-स्तरीय इनपुट निर्माण सह बिक्री दुकानों (Input Preparation and Sales Shops) की स्थापना के साथ संयुक्त किये जाने की आवश्यकता है।
  - देश भर में प्रति ग्राम दो दुकानों की स्थापना कम-से-कम पाँच मिलियन युवाओं और महिलाओं को आजीविका प्रदान कर सकती है।

नोट :

- सफल किसानों से प्रेरणा लेना: देश भर में सतत्/संवहनीय कृषि को बढ़ावा देने और इसका अभ्यास करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और अग्रणी किसानों से सहयोग एवं प्रेरणा ग्रहण की जा सकती है।
  - ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (Council on Energy, Environment and Water- CEEW) के एक शोध का अनुमान है कि कम-से-कम पाँच मिलियन किसान पहले से ही सतत् कृषि के किसी न किसी रूप का अभ्यास कर रहे हैं और सैकड़ों गैर-सरकारी संगठन उन्हें प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं।
  - आंध्र प्रदेश में समकक्ष किसानों (विशेष रूप से अग्रणी किसानों) से ऑन-फील्ड प्रदर्शनों के माध्यम से अनुभव और प्रेरणा ग्रहण करना रसायन-मुक्त कृषि के प्रसार में बेहद प्रभावी साबित हुआ है।
- सामुदायिक संस्थानों का लाभ उठाना: जागरूकता प्रसार, प्रेरणा और सामाजिक समर्थन के लिये सामुदायिक संस्थानों का लाभ उठाया जा सकता है।
  - सरकार द्वारा एक ऐसे पारितंत्र का विकास करने की आवश्यकता है जहाँ किसान कृषि क्षेत्र में किसी भी ट्रांजीशन की ओर आगे बढ़ते समय एक-दूसरे से सीख सकें और एक-दूसरे का समर्थन कर सकें।
  - कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम विकसित करने के साथ ही सतत् कृषि अभ्यासों के संबंध में कृषि विस्तार कार्यकर्त्ताओं (Agriculture Extension Workers) की कुशलता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारत-UAE संबंध

संदर्भ

मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements- FTAs) के प्रति भारत का दृष्टिकोण बदल रहा है और अब वह सार्थक बाज़ार पहुँच हासिल करने तथा वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भारतीय उद्योग के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत केवल किसी समूह में शामिल होने के लिये व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, बल्कि FTA वार्ताओं का नया दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारतीय अर्थव्यवस्था में नई उभरती गतिशीलता की आवश्यकता के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा।

हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के वाणिज्य मंत्रियों द्वारा भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement- CEPA) पर हस्ताक्षर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नई उभरती गतिशीलता के प्रति भारत की प्रतिक्रिया का ऐसा ही एक उदाहरण है।

भारत और UAE

भारत-UAE द्विपक्षीय संबंध

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित किये थे।
- अगस्त 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा ने दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत के रूप में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक बढ़ावा दिया।
- इसके साथ ही, जनवरी 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान यह सहमति बनी कि द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया जाए।
  - इस भावना ने भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिये वार्ता शुरू करने को गति प्रदान की।

  UAE का आर्थिक महत्त्व
  - संयुक्त अरब अमीरात न केवल मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया के संदर्भ में बल्कि विश्व स्तर पर भी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा है।
  - UAE की रणनीतिक स्थिति के कारण इसका उभार एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में हुआ है।
- हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात ने अपने 'विज़न 2021' के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास किया है।
  - विश्व व्यापार संगठन (WTO) के एक दस्तावेज के अनुसार वर्ष 2012 से UAE की अर्थव्यवस्था के विकास का नेतृत्व गैर-हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों ने किया है जो देश की अर्थव्यवस्था के सफल विविधीकरण को रेखांकित करता है।
- यद्यपि संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी अर्थव्यवस्था को विविध बनाया है, लेकिन हाइड्रोकार्बन क्षेत्र अभी भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण बना हुआ है, जिसके बाद सेवा और विनिर्माण क्षेत्र अपना योगदान दे रहे हैं।
  - सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय सेवाएँ, थोक एवं खुदरा व्यापार और रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएँ मुख्य योगदानकर्त्ता हैं।

भारत-UAE आर्थिक संबंध

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले नौ माह में भारत-UAE का कुल उत्पाद व्यापार 52.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का रहा जो UAE को भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाता है।

नोट :

- दोनों देशों द्वारा अगले पाँच वर्षों में द्विपक्षीय उत्पाद व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवाओं के व्यापार को 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।

- दो देशों के बीच व्यापार समझौता दोतरफा निवेश प्रवाह का भी प्रवर्तन होता है। भारत मं संयुक्त अरब अमीरात का निवेश लगभग 11.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकलित किया गया है जो इसे भारत में नौवाँ सबसे बड़ा निवेशक देश बनाता है।
- इसके अलावा, कई भारतीय कंपनियों ने UAE में संयुक्त उद्यम के रूप में या उसके विशेष आर्थिक क्षेत्रों में (सीमेंट, निर्माण सामग्री, वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के लिये) अपनी विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं।
  - कई भारतीय कंपनियों ने पर्यटन, आतिथ्य, खानपान, स्वास्थ्य, खुदरा क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में भी निवेश किया है।
- भारत की संशोधित FTA रणनीति के तहत सरकार ने कम से कम छह देशों/क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है जिसमें अंतरिम व्यापार समझौते (Early Harvest Deal/Interim Trade Agreement) के लिये UAE सूची में शीर्ष पर है। यूके, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इज़राइल और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के कई देश इस सूची में शामिल अन्य प्रमुख देश/क्षेत्र हैं।
  - इससे पूर्व UAE ने भी पहले भारत और सात अन्य देशों (यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इज़राइल और केन्या) के साथ द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों को आगे बढ़ाने के अपने इरादे की घोषणा की थी।

अंतरिम व्यापार समझौता

- किसी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पहले दो देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच कुछ वस्तुओं के व्यापार पर टैरिफ को उदार बनाने हेतु एक अंतरिम व्यापार समझौता (Interim Trade Agreement- ITA) अथवा 'अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट' ((Early Harvest Trade Agreement) का उपयोग किया जाता है।
- अंतरिम समझौते पर सरकार का ज़ोर रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित हो सकता है ताकि न्यूनतम प्रतिबद्धताओं के साथ एक बेहतर समझौता संपन्न किया जा सके और विवादास्पद मुद्दों को बाद में हल करने का अवसर हो।
- हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2022 में एक ITA संपन्न करने की योजना की घोषणा की है।
  - भारत वर्ष 2022 के पूर्वार्द्ध में यूके के साथ भी एक अंतरिम व्यापार समझौता संपन्न कर लेने की इच्छा रखता है, जबकि UAE के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया गया है।

आगे की राह

- भारत-UAE व्यापार समझौते के लाभों को बढ़ाना: निर्यात में भारत की नई शक्ति के साथ UAE जैसे महत्त्वपूर्ण देश के साथ एक व्यापार समझौते का होना विकास की गति को बनाए रखने में मदद करेगा।
  - चूँकि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव घटित हो रहा है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों के लिये संयुक्त अरब अमीरात एक आकर्षक निर्यात बाज़ार की स्थिति रखता है।
  - चूँकि संयुक्त अरब अमीरात और भारत दोनों ही कई महत्त्वपूर्ण देशों के साथ FTAs को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, न केवल इन दोनों देशों की कंपनियाँ बल्कि अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी संयुक्त अरब अमीरात और भारत को निवेश के लिये एक आकर्षक बाज़ार के रूप में देख सकेंगी।
- GCC के साथ बेहतर संबंधों का मार्ग प्रशस्त करना: UAE कई क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों का एक पक्षकार/भागीदार है जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council- GCC) के देश भी शामिल हैं।
  - GCC के एक अंग के रूप में संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन एवं ओमान के साथ मज़बूत आर्थिक संबंध रखता है और इन देशों के साथ एक साझा बाज़ार एवं कस्टम यूनियन साझा करता है।
    - ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया (GAFTA) समझौते के तहत संयुक्त अरब अमीरात को सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, क़तर, ओमान, जॉर्डन, मिस्र, इराक़, लेबनान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन, सीरिया, लीबिया और यमन तक मुक्त व्यापार पहुँच हासिल है।
  - संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते से भारत के लिये UAE के रणनीतिक क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग खुलेगा और अफ्रीकी बाज़ार एवं इसके विभिन्न व्यापार भागीदारों तक अपेक्षाकृत आसान पहुँच प्राप्त होगी जो भारत को विशेष रूप से हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र और फार्मा क्षेत्र में वहाँ की आपूर्ति शृंखला का अंग बनने में मदद करेगा।

नोट :

- UAE की गैर-टैरिफ बैरियर का अनुपालन: UAE की टैरिफ संरचना GCC (औसत टैरिफ दर 5% लागू) के साथ जुड़ी हुई है, इसलिये गैर-टैरिफ बैरियर (Non-Tariff Barriers- NTBs) को संबोधित करने का दायरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है।
  - NTBs का प्रभाव गैर-टैरिफ उपायों (Non-Tariff Measures- NTMs) के माध्यम से देखा जा सकता है जो अधिकांशत: 'सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी' (SPS) और 'टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड' (TBT) द्वारा कवर किया जाता है।
    - SPS अधिसूचनाएँ मुख्य रूप से जीवित कुक्कुट, माँस और प्रसंस्कृत भोजन से संबंधित हैं, जबकि TBT अधिसूचनाओं का संबंध मछली, खाद्य योजक, माँस, रबर, विद्युत मशीनरी आदि से है।
    - ये अनुपालन भारतीय निर्यातकों के लिये चुनौती पेश करते हैं।
  - FTA समझौते को NTBs के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता लाने का प्रयास करना चाहिये ताकि उनका अनुपालन कम बोझपूर्ण बने।

रूस-यूक्रेन संघर्ष

संदर्भ

यूक्रेन संकट सीमा से बाहर हो गया है, रूस यूक्रेन के कथित 'विसैन्यीकरण' और नाज़ी प्रभाव मुक्ति' (Demilitarise' and 'Denazify') के लिये आक्रमण करके पूर्वी यूक्रेन (डोनबास क्षेत्र) के डोनेट्स्क (Donetsk) और लुहान्स्क (Luhansk) विद्रोही क्षेत्रों को मान्यता प्रदान कर रहा है। मॉस्को का यह निर्णय यूरोप में राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं करने पर वर्ष 1975 के हेलसिंकी समझौते में व्यक्त सहमति को अस्वीकार करता है जो वैश्विक व्यवस्था के लिये एक बड़ी चुनौती है। भारत के लिये एक ओर जहाँ रूस उसके सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा एवं समय मानकों पर खरा उतरा आपूर्तिकर्त्ता बना रहा है, वहीं अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं यू.के. भारत के महत्त्वपूर्ण भागीदार हैं जिन्हें नाराज़ करने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। भारत के रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अब तक जिस संतुलित दृष्टिकोण का पालन किया है, वही उपयुक्त व्यावहारिक तरीका हो सकता है।

संघर्ष का कारण

- शीत युद्ध के बाद के युग में मध्य यूरोपीय क्षेत्रीयता को लेकर संघर्ष और गौरवपूर्ण रूसी अतीत को पुनर्जीवित करने की इच्छा यूक्रेन संकट के मूल में है।
- यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंधों की साझेदारी करते हैं।
- रूस में और यूक्रेन के जातीय रूप से रूसी भागों में कई लोगों के लिये दोनों देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है, जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिये दोहन होता रहा है।
- सोवियत संघ के एक भाग के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थिति रखता था।
  - क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, यूक्रेन का रूस एवं पश्चिम के बीच एक महत्त्वपूर्ण बफर क्षेत्र होना, नाटो की सदस्यता पाने का यूक्रेन का प्रयास और काला सागर क्षेत्र में रूस के हितों के साथ ही यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन जारी वर्तमान संघर्ष के प्रमुख कारण हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- यह संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया गया सबसे बड़ा हमला है. इसके साथ ही यह 1990 के दशक में चले बाल्कन संघर्ष के बाद का पहला बड़ा संघर्ष है।
- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के साथ वर्ष 2014 के मिंस्क प्रोटोकॉल (Minsk Protocols) और वर्ष 1997 के रूस-नाटो एक्ट जैसे समझौते लगभग निष्प्रभावी हो गए हैं।
- G-7 देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा की है।
  - प्रतिक्रिया में अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU), यू.के., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान द्वारा रूस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं ।
- चीन ने यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई को 'आक्रमण' कहना स्वीकार नहीं किया और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है।

नोट :

- भारत पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप की निंदा करने में शामिल नहीं हुआ था और इस मुद्दे पर किसी सार्वजनिक बयान से परहेज ही किया था।
  - वर्तमान मामले में भारत ने अमेरिका द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव जहाँ यूक्रेन के विरुद्ध रूस की 'आक्रामकता' की 'कठोरतम शब्दों में निंदा' की गई, पर मतदान से अनुपस्थित रहने का रास्ता चुना। इस अवसर पर भारत ने 'डायलॉग' और 'डिप्लोमेसी' शब्दों पर ज़ोर देते हुए कहा कि संवाद (Dialogue) ही मतभेदों एवं विवादों को दूर करने का एकमात्र उपाय है और उसने 'अफ़सोस' जताया कि इस मामले में कूटनीति (Diplomacy) का रास्ता छोड़ दिया गया।
  - भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और चीन ने भी मतदान में भाग नहीं लिया।

रूस का पक्ष और दृष्टिकोण

- रूस का दृष्टिकोण यह है कि नाटो के विस्तार ने सोवियत संघ के विखंडन से पूर्व किये गए वायदों का उल्लंघन किया है कि नाटो में यूक्रेन का प्रवेश रूस के लिये खतरे की स्थिति को पार कर जाएगा और नाटो की रणनीतिक मुद्रा रूस के लिये एक सतत् सुरक्षा ख़तरा उत्पन्न करती है।
- सोवियत संघ और वारसॉ संधि के विघटन के बाद भी एक राजनीतिक-सैन्य गठबंधन के रूप में नाटो का विस्तार एक अमेरिकी पहल थी जिसका उद्देश्य रणनीतिक स्वायत्तता के लिये यूरोपीय महत्त्वाकांक्षाओं को नियंत्रित रखना और रूस के पुनरुत्थान का मुक़ाबला करना है।
- सुरक्षा हितों और पूर्व सोवियत गणराज्यों में रूसियों के अधिकारों की रक्षा करने के आधार पर रूसी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन संकट को उचित ठहराया गया था।
- रूस पश्चिम से यह आश्वासन चाहता है कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान में उसे 'भागीदार देश' का दर्जा प्राप्त है जिसका अर्थ है कि उसे भविष्य में इस सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
  - अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश यूक्रेन को नाटो से प्रतिबंधित करने से इनकार कर रहे हैं, उनका दावा यह है कि यूक्रेन एक संप्रभु देश है जो अपने स्वयं के सुरक्षा गठबंधनों को चुनने के लिये स्वतंत्र है।

भारत पर इस संघर्ष के प्रभाव

- रूस-यूक्रेन संकट भारतीय घरों और व्यवसायों के लिये रसोई गैस, पेट्रोल एवं अन्य ईंधन खर्चों को बढ़ा देगा। तेल की ऊँची कीमतों से माल ढुलाई/परिवहन लागत में भी वृद्धि होती है।
- वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों के अधिक समय तक ऊँचे बने रहने की स्थिति में उत्पन्न तनाव मुद्रास्फीति अनुमानों के संबंध में RBI की विश्वसनीयता को प्रश्नगत कर सकती है, जबकि इससे सरकार की बजटीय गणना, विशेष रूप से राजकोषीय घाटा भी प्रभावित हो सकते हैं।
  - कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत के तेल आयात बिलों में वृद्धि होगी और रुपए के दबाव में रहने से सोने का आयात पुन: बढ़ सकता है।
- रूस से भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात उसके कुल तेल आयात बिल का केवल एक अंश ही है और इस प्रकार इसकी भरपाई की जा सकती है।
  - लेकिन उर्वरकों और सूरजमुखी के तेल के वैकल्पिक स्रोत ढूँढना इतना आसान नहीं होगा।
- रूस को निर्यात भारत के कुल निर्यात का 1% से भी कम है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स एवं चाय के निर्यात को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि CIS देशों को शिपमेंट में भी कुछ कठिनाई आएगी। माल ढुलाई दरों में बढ़ोतरी से कुल निर्यात भी कम प्रतिस्पर्द्धी हो सकता है।

आगे की राह

- तत्काल युद्धविराम: शीत युद्धकाल के विपरीत वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था गहनता से एकीकृत है। लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की लागत बहुत गंभीर हो सकती है जो अभी ही यूक्रेन में जीवन की हानि और पीड़ा के रूप में प्रकट होने लगी है।
  - दुनिया अभी भी कोविड-19 महामारी से जूझ रही है जिसने निर्धनतम देशों और लोगों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। ऐसे समय विश्व एक युद्ध-प्रेरित मंदी का सामना कर सकने में अक्षम ही होगा।

नोट :

- यह दायित्व रूस पर है कि वह तत्काल युद्ध विराम लागू करे और फिर दोनों पक्ष वार्ता करें। संघर्ष आगे बढ़ाना उपयुक्त नहीं है।

- यूरोप के लिये नई सुरक्षा व्यवस्था: जिस तरीके से रूस ने कथित 'गलत' को 'सही' करने का निर्णय लिया है, उसे तर्कसंगत ठहराए बिना भी यह स्पष्ट है कि वर्तमान संकट किसी न किसी प्रकार यूरोप में एक विखंडित सुरक्षा व्यवस्था का ही परिणाम है।
  - संवहनीय सुरक्षा व्यवस्था में वर्तमान वास्तविकताओं का प्रतिबिंबन महज शीतयुद्ध कालीन व्यवस्था का परिणाम नहीं हो सकता और इसे आंतरिक रूप से संचालित किया जाना चाहिये।
  - इसके साथ ही ऐसी यूरोपीय व्यवस्था जो व्यावहारिक वार्ता के माध्यम से रूस की चिंताओं को समायोजित नहीं करे, लंबे समय तक स्थिर नहीं बनी रह सकती।
- 'मिंस्क शांति प्रक्रिया' को पुनर्जीवित करना: स्थिति का एक व्यावहारिक समाधान 'मिंस्क शांति प्रक्रिया' (Minsk Peace Process) को पुनर्जीवित करने में निहित है।
  - इस प्रकार, पश्चिम (अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों) को दोनों पक्षों को बातचीत फिर से शुरू करने और सीमा पर सापेक्ष शांति बहाली के लिये मिंस्क समझौते के अनुरूप अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति करने के लिये प्रेरित करना चाहिये।

भारत-विशिष्ट आगे की राह

- भू-राजनीतिक पहलू: भारत को रूसी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उत्पन्न कुछ तात्कालिक चुनौतियों का सामना करने के लिये स्वयं को तैयार करना होगा।
  - इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा करने के लिये एक रणनीतिक साझेदार की ओर से दबाव और दूसरे साझेदार की वैध चिंताओं को समझने के बीच एक संतुलन साधना होगा। वर्ष 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे से उत्पन्न संकट के दौरान भारत ने इन दबावों को कुशलता से प्रबंधित किया था और अपेक्षित है कि वह एक बार फिर प्रभावी ढंग से इस संकट को प्रबंधित करेगा।
- आर्थिक पहलू: राजकोषीय दृष्टिकोण से सरकार (जो बजट में अपने राजस्व अनुमानों को लेकर रूढ़िवादी रही है) के पास इस वैश्विक मंथन के बीच मुद्रास्फीति अनुमानों को कम करने के लिये घरेलू ईंधन करों में पूर्व-क्रय कटौती करने, खपत स्तर को कम करने और भारत की नाजुक पोस्ट-कोविड रिकवरी को जारी रखने का अवसर मौजूद है।
- एक संतुलित दृष्टिकोण: भारत-रूस संबंधों ने यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली को अफगानिस्तान पर वार्ता और मध्य एशिया से पूरी तरह बाहर नहीं रखा जा सकता, जबकि अमेरिका के साथ भी कुछ लाभ की स्थिति प्राप्त हुई।
  - इसके साथ ही अमेरिका, यूरोपीय संघ और यू.के. सभी महत्त्वपूर्ण भागीदार हैं और उनमें से प्रत्येक के साथ तथा सामान्य रूप से पश्चिमी विश्व के साथ भारत के संबंध किसी एक घटना या विषय तक सीमित नहीं हैं।
  - दिल्ली को यह ध्यान में रखते हुए कि किसी भी देश की क्षेत्रीय संप्रभुता के उल्लंघन का कोई औचित्य नहीं है, सभी पक्षों से बातचीत जारी रखनी चाहिये और अपने सभी भागीदारों के साथ संलग्न बने रहना चाहिये।
  - भारत को दबाव बनाने वाले देशों के समक्ष यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये कि उनका 'हमारे साथ या हमारे विरुद्ध' (With us or Against us') का फॉर्मूला रचनात्मक या संवादपरक नहीं माना जा सकता।
  - सभी पक्षों के लिये सर्वोत्कृष्ट राह यह है कि वे एक कदम पीछे हटें और समग्र युद्ध की संभावना को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि विश्व में विभाजन उत्पन्न हो और एक बार फिर शीत युद्ध की स्थिति बने।

नोट :

सामाजिक न्याय

मनरेगा और बजट 2022

संदर्भ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme- MGNREGA) ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा एवं स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। यह एक मूल्यवान रोज़गार उपकरण और सुरक्षा जाल रहा है, जिसकी पुष्टि कोविड महामारी के दौरान उभरे प्रवासी संकट के समय भी हुई।

मनरेगा योजना की उच्च मांगों के बावजूद (जैसा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में भी प्रकट हुआ) वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मनरेगा के लिये आवंटन निराशाजनक रहा है।

अखिल भारतीय किसान सभा और नरेगा संघर्ष मोर्चा (NSM) जैसे संगठनों ने मनरेगा के लिये आवंटन की अपर्याप्तता को लेकर चिंता जताई है।

मनरेगा और बजटीय आवंटन का मुद्दा

मनरेगा क्या है?

- मनरेगा दुनिया के सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है जिसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।
- योजना का प्राथमिक उद्देश्य किसी भी ग्रामीण परिवार के सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार की गारंटी देना है।
- पहले की रोज़गार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा का उद्देश्य अधिकार-आधारित ढाँचे के माध्यम से चरम निर्धनता के कारणों का समाधान करना है।
  - लाभार्थियों में कम-से-कम एक तिहाई महिलाएँ होनी चाहिये।
  - मज़दूरी का भुगतान न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य में कृषि मज़दूरों के लिये निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मज़दूरी के अनुरूप किया जाना चाहिये।

मनरेगा के लिये कम बजटीय आवंटन की समस्या

- पिछले दो वित्त वर्षों (2020-21 और 2021-22) में आरंभिक आवंटन 'पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी' (PAEG) और NSM जैसे समूहों द्वारा अनुशंसित आवंटन की तुलना में लगभग आधा ही रहा।
  - धन की लगातार कमी ने मनरेगा के लिये एक स्थानिक स्थिति पैदा कर दी है, जो राज्य सरकारों के लिये घाटे, मज़दूरी भुगतान में देरी, वित्त वर्षों की अंतिम दो तिमाहियों में प्रदत्त कार्य में गिरावट और वित्तीय वर्ष के अंत में उल्लेखनीय लंबित बकाया राशि के रूप में प्रकट होती है।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिये भी इस प्रमुख ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम को कम आवंटन प्राप्त हुआ है। यह वर्ष 2021-22 के लिये संशोधित अनुमान 98,000 करोड़ रुपए से लगभग 25,000 करोड़ रुपए कम है (25% की कमी)।
  - NSM ने कहा है कि वर्तमान आवंटन सभी सक्रिय जॉब कार्डधारक परिवारों को केवल 16 दिनों के लिये ही रोज़गार प्रदान कर सकता है।

अनुमानित व्यक्ति-दिवस गणना से संबद्ध समस्याएँ

- अनुमानित व्यक्ति-दिवस (Projected Person Days) किसी वर्ष के लिये अनुमानित कुल कार्य दिवस होते हैं। अनुमानित व्यक्ति-दिवस और मज़दूरी दर दो महत्त्वपूर्ण चर हैं जिन पर बजट गणना निर्भर करती है।

नोट :

- वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में तीसरी तिमाही (Q3) की तुलना में चौथी तिमाही (Q4) में सृजित व्यक्ति-दिवस लगभग 18.4% अधिक रहे।
  - लेकिन वित्त वर्ष 2021-22 में Q4 के लिये अनुमानित व्यक्ति-दिवस Q3 की तुलना में पर्याप्त कम थे।
- वित्त वर्ष 2021-22 के लिये Q4 का अनुमान वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही का केवल 40% था।
  - वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तीन तिमाहियों में सृजित व्यक्ति-दिवस में मामूली अंतर (केवल 7% कम) के बावजूद यह स्थिति रही।
- यह आँकड़ा बताता है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के लिये अपने अनुमानों को संशोधित नहीं किया है, भले ही उसने हाल ही में मनरेगा के लिये 25,000 करोड़ रुपए के पूरक अनुदान की घोषणा की है।

अव-आकलित व्यक्ति-दिवस अनुमान का परिणाम

- चूँकि बजट आवंटन अनुमानित व्यक्ति-दिवसों पर आधारित होते हैं, अव-आकलित (Underestimated) अनुमान अपर्याप्त आवंटन को अवसर देते हैं।
- वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के असामान्य रूप से कम अनुमानों के कारण केवल 25,000 करोड़ रुपए का पूरक आवंटन किया गया जबकि इसके लिये कम-से-कम 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की मांग की जा रही थी।
- वित्त वर्ष 2022-23 के लिये कम आवंटन अस्वाभाविक रूप से कम व्यक्ति-दिवस अनुमानों का भी परिणाम हो सकता है।

मनरेगा मज़दूरी दरों से संबद्ध समस्याएँ

- नरेगा 'एक नज़र में' (NREGA 'At a Glance') रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में भुगतान की गई औसत मनरेगा मज़दूरी मात्र 209 रुपए प्रतिदिन रही। आधिकारिक मनरेगा मज़दूरी भी बजट को कम रखने में योगदान करती है।
- मनरेगा अधिनियम के इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद कि प्रदत्त मज़दूरी प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मज़दूरी से कम नहीं होनी चाहिये, विभिन्न राज्यों में मनरेगा मज़दूरी का स्तर न्यूनतम मजदूरी से नीचे रहा है।
- इससे अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ मनरेगा श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हुआ है।

आगे की राह

- मनरेगा के लिये पर्याप्त बजट आवंटन: मनरेगा रोज़गार गारंटी को कानूनी अधिकार मानता है, जहाँ कोई भी ग्रामीण परिवार प्रतिवर्ष 100 दिनों तक के कार्य की मांग कर सकता है और सरकार को इसे प्रदान करना होगा। जब भी कार्य की मांग की जाए, सरकार द्वारा उसकी पूर्ति किया जाना अनिवार्य होता है।
  - इन उल्लिखित विसंगतियों को दूर करने के लिये PAEG ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिये 2.64 लाख करोड़ रुपए के न्यूनतम बजट की सिफारिश की थी, जहाँ केवल इस वर्ष सक्रिय परिवारों को ध्यान में रखा गया था।
  - यद्यपि यह संख्या योजना के तहत पंजीकृत परिवारों की संख्या से काफी कम है, किंतु इस दिशा में एक शुरुआती प्रयास के रूप में सराहनीय है।
- मनरेगा निधि की पुन:पूर्ति: बजट आवंटन को मनरेगा के तहत प्रदान किये जा सकने वाले कार्य के लिये एक 'सीलिंग' के रूप में देखने से योजना का मूल आधार नष्ट हो जाता है।
  - जबकि एक प्रारंभिक बजट आवंटन किया जाता है, प्रत्येक राज्य में वास्तविक कार्य मांग के आधार पर प्रदान किये गए पूरक अनुदान द्वारा मनरेगा निधि की नियमित रूप से पुन:पूर्ति की जानी चाहिये।
  - अनुमानों का आकलन करने, मज़दूरी को अवैधानिक रूप से कम रखने और बजट को प्रदान किये जा सकने वाले कार्य की ऊपरी सीमा के रूप में देखने के दृष्टिकोण ने मनरेगा के मूल आधार को ही नष्ट कर दिया है।
- न्यूनतम मज़दूरी दरों में संशोधन: औसत मनरेगा मज़दूरी पर कई आकलन उपलब्ध हैं।
  - उदाहरण के लिये, डॉ. अनूप सतपथी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने प्रतिदिन 375 रुपए की आवश्यकता-आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी का अनुमान लगाया था (जुलाई 2018 की स्थिति तक)।

नोट :

- इसकी तुलना में PAEG ने हाल ही में जारी अपने बजट-पूर्व संक्षिप्त विवरण में 269 रुपए प्रति दिन का आकलन किया था।
- चाहे किसी भी सिफारिश पर विचार किया जाए, किंतु योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिये न्यूनतम मज़दूरी दरों में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है।

- योजना का सुदृढ़ीकरण: विभिन्न सरकारी विभागों तथा तंत्र के बीच कार्य आवंटन एवं मापन के लिये बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
  - यह हाल के वर्षों में मनरेगा सबसे बेहतर कल्याणकारी योजनाओं में से एक रही है और इसने ग्रामीण गरीबों की काफी मदद की है। सरकारी अधिकारियों को योजना को पूरी भावना से लागू करने के लिये पहल करने की ज़रूरत है और उन्हें काम को अवरुद्ध नहीं करना चाहिये।
  - सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी समय मांग के आधार पर कार्य प्रदान किया जाए। इसके साथ ही, योजना का विस्तार किया जाना चाहिये और मूल्यवर्द्धन एवं सामुदायिक संपत्ति कार्यों को कई गुना बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित हो।

जाति और हाथ से मैला ढोने की प्रथा

संदर्भ

आज़ादी के बाद से भारत में शक्ति समीकरण और राजनीतिक आदर्शों में गहरा बदलाव आया है जिसने व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ सामूहिक विचार को भी बदल दिया है। हालाँकि आधुनिकता लाने वाली ताकतें गहरे रूप से पक्षपाती भी रही हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज की वास्तविकता है, जो केवल पहचान का 'टैग' भर नहीं है बल्कि यह देश में जीवन के तरीके को भी निर्धारित करती है।

जाति असमानता को एक बुनियादी मूल्य के रूप में आज भी सुदृढ़ कर रही है और श्रम का निर्धारण इसकी प्रमुख अभिव्यक्तियों में से एक है। जाति पदानुक्रम व्यावसायिक पदानुक्रम को मज़बूत करता है और व्यावसायिक शुद्धता एवं संदूषण के विचार व्यक्तियों के जीवन में और अधिक अंतर्निहित हुए हैं।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा और जाति आधारित पूर्वाग्रह

हाथ से मैला ढोने की प्रथा/मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual scavenging)

- हाथ से मैला ढोने की प्रथा को ''किसी सुरक्षा साधन के बिना और नग्न हाथों से सार्वजनिक सड़कों एवं सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, गटर एवं सीवर की सफाई करने'' के रूप में परिभाषित किया गया है।
- हाथ से मैला ढोने की प्रथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है जो 'मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार' की गारंटी देता है।
- 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020' (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation (Amendment) Bill, 2020) सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने, 'ऑन-साइट' सुरक्षा के तरीके अपनाने और सीवर में होने वाली मौतों के मामले में कर्मियों के परिवार वालों को मुआवज़ा प्रदान करने का प्रस्ताव करता है।
  - इसे अभी कैबिनेट की मंज़ूरी मिलना शेष है।

जाति विभाजन और मैला ढोने की प्रथा का संबंध

- जाति प्रथा श्रम के साथ-साथ श्रमिकों के विभाजन की ओर ले जाती है। दलितों को 'शुद्ध' माने जाने वाले क्षेत्रों में रोज़गार पाने में प्राय: भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
  - उदाहरण के लिये, हाथ से मैला ढोना या सूखे शौचालयों की सफाई एक ऐसा काम है जिसे दलित वर्गों के ऊपर लाद दिया गया है।
- उनसे बेहद मामूली पारिश्रमिक पर या बेगारी के रूप में मानव मलमूत्र ढोने और सीवेज की सफाई करने की अपेक्षा की जाती है। वे गरीबी और सामाजिक बहिर्वेशन के दुष्चक्र में फँसे हुए हैं।
- यद्यपि 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के तहत मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है, यह अमानवीय अभ्यास अभी भी जारी है।

नोट :

- सरकारी आँकड़ों के अनुसार हाथ से मैला ढोने वालों में 97% दलित हैं। लगभग 42,594 मैला ढोने वाले कर्मी अनुसूचित जाति, 421 अनुसूचित जनजाति और 431 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं।

- ये आँकड़े जातिगत आधारों से ऊपर उठने और सभी को श्रम की गरिमा प्रदान करने के मामले में हमारी सामूहिक विफलता के अनुस्मारक हैं।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये किये गए प्रयास

- 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' सूखे शौचालयों से मैला ढोने पर प्रतिबंध से आगे जाते हुए हाथ से अस्वच्छ शौचालयों, खुली नालियों या गड्ढों की किसी भी प्रकार की मलमूत्र सफाई को अवैध बनाता है।
- वर्ष 1989 में लाया गया 'अत्याचार निवारण अधिनियम' (Prevention of Atrocities Act) स्वच्छता कर्मियों के लिये एक एकीकृत प्रहरी के रूप में सामने आया जहाँ हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजित 90% से अधिक लोग अनुसूचित जाति के थे।
  - यह मैला ढोने वाले लोगों को निर्दिष्ट पारंपरिक व्यवसायों से मुक्त कराने के संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर बना।
- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विश्व शौचालय दिवस पर सभी राज्यों के लिये अप्रैल 2021 तक सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने के लिये 'सफाईमित्र सुरक्षा चुनौती' की शुरुआत की गई।
  - हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन के लिये एक सफाई कर्मचारी आंदोलन भी चलाया गया।

विभिन्न प्रयासों के बावजूद वर्तमान परिदृश्य

- जाति-आधारित पूर्वाग्रह को इस हद तक सामान्य कर दिया गया है कि हाथ से मैला उठाने वालों की दुर्दशा पर उस प्रकार का ध्यान ही नहीं दिया जाता, जिसके वह हकदार हैं। केंद्र और राज्य स्तर की सरकारें इस समस्या को छुपा रही हैं।
  - हमेशा आँकड़ों में हेराफेरी करने की कोशिश की जाती रही है और प्राय: सरकारी आँकड़ों में ही विरोधाभास पाया जाता है।
- सरकार का दावा है कि वर्तमान में मैनुअल स्कैवेंजिंग में संलग्न लोगों की कोई रिपोर्ट नहीं है और पाँच वर्षों (2013-2018) में इस अभ्यास के कारण किसी की मौत की कोई सूचना नहीं है।
  - लेकिन सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच देश भर में इस कार्य से जुड़े 472 कर्मियों की मौत हुई।
- गंभीर शोध के साथ तैयार कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारतीय रेलवे, सेना और शहरी नगरपालिकाएँ अभी भी ऐसी बड़ी संस्थाएँ हैं जहाँ हाथ से मैला ढोने वाले कर्मी कार्यरत हैं।
  - ऐसे संस्थाएँ या तो इन कार्य को ठेकेदारों को आउटसोर्स करने के तरीके ढूँढ लेती हैं ताकि उन्हें सीधे जवाबदेह या उत्तरदायी न ठहराया जा सके अथवा ऐसे श्रमिकों को 'स्वीपर' के रूप में गलत तरीके से दिखाया जाता है।

आगे की राह

- मौजूदा कल्याण नीतियों का कार्यान्वयन: सरकार की प्रतिक्रिया उदासीनता की गहरी भावना को दर्शाती है। यह समझने की ज़रूरत है कि समस्या से इनकार करना केवल उसके समाधान में देरी में ही योगदान देता है। सीवर में होने वाली मौतें आज भी एक वास्तविकता है।
  - भारत अभी भी हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के मामले में बहुत पीछे है। सरकार की योजना 40,000 रुपए की एकमुश्त नकद सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और स्व-रोज़गार परियोजनाओं के लिये पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है।
  - इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
- सख्त एवं एकीकृत कानून: यदि कोई कानून राज्य एजेंसियों की ओर से स्वच्छता सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक वैधानिक दायित्व लागू करता है तो इससे ऐसा परिदृश्य बनेगा, जहाँ इन श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी नहीं होगी।
  - अब तक दंड के प्रावधान अत्यंत कमज़ोर रहे हैं। इसके साथ ही, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा उजागर किया गया है कि हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों को संलग्न या नियोजित करने के आरोपी लोगों और संगठनों के विरुद्ध कोई गंभीर कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है।

नोट :

- सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की मांग है कि नियोजन प्रतिषेध कानून को SC एवं ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के साथ एकीकृत दृष्टिकोण से पढ़ा जाए, ताकि इसे और मज़बूत बनाया जा सके।

- व्यवहार परिवर्तन: हाथ से मैला ढोने के पीछे की सामाजिक स्वीकृति को संबोधित करने के लिये सर्वप्रथम इसके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा और फिर यह समझना होगा कि मैला ढोने की प्रथा किस प्रकार और क्यों जाति व्यवस्था में अंतर्निहित है।
  - यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि हाथ से मैला ढोना न केवल प्रौद्योगिकी या वित्तीय सहायता की समस्या है बल्कि सामाजिक पूर्वाग्रह से भी संबंधित है।
  - राज्य को जाति की भूमिका को स्वीकार करना चाहिये और सक्रिय रूप से इसे हल करना चाहिये। हमें अधीरता एवं अत्यावश्यकता की भावना दिखानी चाहिये और समानता, न्याय एवं श्रम की गरिमा को स्थापित करने के लिये अब और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये।
- सामाजिक जागरूकता: हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये समस्या के मूल को समझना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कोई और कार्य कर सकने के लिये कौशल की कमी एवं स्वयं समाज की ओर से भेदभाव वे प्रमुख कारण हैं जो लोग आज भी ऐसे कार्यों में संलग्न बने हुए हैं।
  - यह सभी स्तरों पर सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, स्वास्थ्य अधिकारियों और सामाजिक समुदायों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है कि वे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, स्वच्छता संबंधी प्रथाओं और स्वच्छता प्रक्रियाओं के विषय में हाथ से मैला उठाने वाले समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करें।
  - इसके अलावा, आम जनता को भी हाथ से मैला ढोने संबंधी कार्य में नियोजित करने से संबद्ध कानूनी निहितार्थों से अवगत कराया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

मौजूदा विश्व में अपने भाग्य को साकार करने हेतु कार्य करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अपने लिये और अपने परिवार के लिये आर्थिक उपार्जन कर सकना मानवीय गरिमा के मूल में है। इसकी कमी से अलगाव उत्पन्न होता है और मानव विकास अवरुद्ध हो जाता है।

The Vision

नोट :